Witten / eter / 1 / Idear sidens / 2020 / 782

Paris 7 AUG 2020

//314//

विषय - मण् विश्वविद्यालय अधिनियम -- 1973 की धारा 25 (1) के

(एक) 1. ब्युलपति थी. रेणु. जीन अध्यक्ष ग्रुलपति। चेती अहित्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (ची) 2. ब्युलाधिसिविव पदीन सदस्य (चीन) 3. श्री सुरेश सिलाबर: क्षेत्रीय अहिरिवत संचालकः

्वाच्य शिक्षा विमाग, ग.घ. शासन, इन्होर (वार) व. अध्यक्ष मध्यप्रदेश, माध्यमिक शिक्षा मण्डल

(भाष) 5. सभी संकायों के संकायाध्यक्ष :-

पदेश संकारमध्यक्ष- फला सकाम. देवी अहिल्या विश्वविधालम उन्होर

2. परोन शंकायाध्यमः सभाज विद्यानः देशी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्होर

उ हों. प्रतिभा सेन संकाराध्यस- विद्यान संकाय, भौतिकी अध्ययन शाला देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्हेंप्र

व भदेन संकायाध्यास, गृह विज्ञान, देवी आहिल्या विश्वविद्यालय अन्तीर

5. पदेन संकायाध्यक्ष- गांत्रिकी संकाय, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, अन्दोर

त पदेन संकायाध्यक्ष प्रतिवाद्याच्य संकाय देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्होर

हों. कामाद्यी अभिन्हों हो. संकायाध्यक्ष- शिक्षा संकाय शिक्षा अध्यक्षन शाला देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्होंड

र्थी, इनामुर एहमान संकायाकाक्ष- विधि संकाय, शाश, गयीन विधि पहाविद्यालय, इन्सीर नेवी अष्टिल्या विश्वविधालय, इन्सीर



- अर्थ कुसुमलता निमवास, महाराणी लक्ष्मीवाई शास कल्या सदस्य महाविधाराय, किला भवन इन्दौर
- 2 डॉ राजेश व्यास किशियाम एडीनेट कॉलेज इन्दौर सदस्य 3 इंटिंग सामाद निमुशकर महास्था रणसीसरिए कॉलेज. सदस्य
 - डॉ. वासुदेव मिशा, श्री वलांथ गार्केट इंस्टी, आंफ प्रोफे, सदस्य स्टडीज, इन्दौर
- डॉ योगेश्वरी फाटक गीआई एमआर इन्होंच सरस्य
- 9 (मो)विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय के यो आचार्य, जो यहलपति द्वारा गौम भितिष्ट हो
 - 1 डॉ अनुपभ जीन शासकीय महाविद्यालय साँचेर सहस्य
 - 2 डॉ. अनूप व्यास, श्री आटल बिहारी पानापेथी, शासकीय, सदस्य कला एवं पाणिका महाविद्यालय, इन्होर
- 10. (दस) विश्वविद्यालय के उपाधार्यों तथा ज्याख्याता और महाविद्यालय के राष्ट्रायक प्राध्यापक में से रीन व्यक्ति, जो कुलपति द्वारा नाम निर्देष्ट हो, जिनमें कम से कम दो महिला होंगी। विश्वविद्यालयीन उपाधार्य -
 - न खाँ प्रीति सनसोगा, एस आ सी एस आई टी., दे अ वि.चि., सदस्य इन्दोर

भहाविद्यालयीं सहायक प्राध्यापक --

त डॉ. उथा गोलोरो, शासकीय संस्कृत महाविद्यालय, सदस्य इन्दौर

विश्वविद्यालय के व्याख्याता : -

- । डॉ. निरंजना श्रीवास्यात, आई आई एम एरा, हे आवि वि., सदस्य इन्दौर
- (25) (4) विद्या परिषद के रागस्त रावस्य, जो मदेन सदस्यों से लक्षा उपधारा —3 में निर्देश्ट किए गए सवस्यों से भिन्न हो, सीन वर्ष की अविधि के लिए पद घारण करेंगे।

कुलपतिणी के आदेशानुसीर कुलसचिव

पृष्तींकन क. शैक्ष./आत/विद्या परिषद/2020/4782

13-17-8 1 1 AUC 2070

- । विद्या परिषद के सगरत सम्माननीय सदस्यमण
- 2 कुलपतिजी के सचिया देशा विवि इन्दरि
- 3. कुलसचिव के निज सहायक दे अ वि वि इन्हीं र
- 4 उप कुलसिवय (परीक्षा / गोपनीय / प्रशासन) दे आ वि. वि. इन्दोर
- 5 सहायक कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) हे अ वि वि इन्होर की आर सूचनार्थ प्रेषित।

सप-कुलसचिव (शिक्ष.)

MILE



GOVE HOLKAR (MODEL AUTONOMOUS) SCIENCE COLLEGE A.B.
ROAD INDORE

Indore; Date: 21/11/2026

To.

Dr. Anand Nighojkar

Principal, M.R.S. College, Indore

Sub-: Meeting of Board of Studies 2020-21

Sir.

With due regards I wish to invite you as an experimeneersity representative in a meeting of Board of Studies going to held on 23/11/2020 in the Department of Biotechnology & Bioinformatics:

Govt. Holkar Science College Indore (M.P.) at 11:00 AM

Dr. Kiran Billore

Dept. of Biotechnology& Bioinformatics

Govt. Holkar Science College Indose

Read 1



DEVI AHILYA UNIVERSITY, INDORE

Spt. VIII(4)/2021-2024/

Indore Date: 29,10,2021

-: Memorandum:-

Kulpatiji has nominated the following member on University Sports Committee under the statute no. 37.

Statute no. 37-1(III)

- 1. Dr. D.D. Mahajan, Principal, Govt. PG. College, Khargone.
- 2. Dr. N. Anand, Principal, Maharaja Ranjit Singh College, Indore.
 - 3. Dr. Ashutosh Mishra, Prof. & Head, School of Physics, DAVV., Indore.
 - 4. Dr. Sudhira Chandel, Prof., School of Physical Education, DAVV., Indore.
 - 5. Dr. B.K. Tripathi, Director, UPS, DAVV., Indore.

Statute no. 37-1(IV)

- 1. Dr. Kiran Saluja, Prof., OSD., Add. Director Higher Education Office, Indore.
- 2. Dr. Pravin Kekre, Prof., PMB Gujarati Science College, Indore.
- 3. Dr. S.S. Baghel, Prof., Govt. PG College, Dhar.
- 4. Dr. Piyush Kendurkar, Sr. Lecturer, IMS., DAVV., Indore.

Statute no. 37-1(VII)

1. Shri B.J.Patil, Sports Officer, MLB Govt. Girls PG College, Indore

The term of members under item I(III, IV, & VII) shall be three years. A copy of the statute No. 37 Sports Committee is enclosed for perusal

Enc. As above Endt. No. Spt. VIII(4)/2021-2024/ C.C. to,

(Dr. Anil Shrma) Registrar Indore Dated: 29.10.2021

All members Sports Committee Devi Ahilya University, Indore.

Principal/Dean/Director/Chairman/Head All Department/UTD, Sports Association, Devi Ahilya University, Indore. College/ Institute/

Sports Officer, All College, Devi Ahilya University, Indore.

All Officer, Devi Ahilya University, Indore. for favour of information & necessary action please.

Incharge I.T Center for uploading on website. 5.

(Incharge Director Physical Education)

तुलनात्मक भाषा एवं संस्कृति अध्ययनशाला

School of Comparative Languages and Culture

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दीर DEVI AHILYA VISHWAVIDYALAYA, INDORE विज्ञान भवन, खण्डवा रोड, इन्हीर 452 001 Vigyan Bhawan, Khandwa Road, Indore 452 001 Telephone (0731) 2468975

Date 5 MAP 2021

06/03/204

// प्रमाण-पत्र //

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. पुष्पेन्द्र दुवे, प्राध्यापक – हिन्दी, महाराजा रणजीत सिंह कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल साईरोज, इन्दौर ने तुलनात्मक भाषा एवं संस्कृति अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर में सन्न 2015-16 से 2019-20 तक की संघालित होने वाली शैक्षणिक गतिविधियों के अंतर्गत एम फिल / पीएच डी. कोर्शवर्क (हिन्दी) मे विजिटिग फैकेल्टी एवं कोर्स कोर्डिनेटर के रूप में कार्य किया है।

इसके साथ डॉ दुबे ने एम.फिल - पीएचडी के लिये आतरिक परीक्षक एवं मूल्यांकन कार्य में सहयोग प्रदान किया। इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की जाती है।



विश्वविद्यालय गयन इन्दौर — 452 001

क. शैक्षणिक / एक / भौतिकशास्त्र अ.म. / 2018/2149

13 6 OCT 2018

//अधिसूचना//

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम —1973 की धारा 28 की उपधारा (2) (4) के अनुसार विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिकशास्त्र अध्ययन मण्डल का गडन अधिसूचना दिनांक से तीन वर्ष के लिये निम्नानुसार किया जाता है :-

- 28 (2)(एक) उन विषयों के जिनके लिये कि बोर्ड का गढन किया गया हो. विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्यापन केन्द्रों के आचार्य।
 - 1 डॉ० आशुतोष मिश्रा, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, भौतिकी अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर

2 डॉo प्रतिमा सेन, प्राध्यापक, मौतिकी अध्ययनशाला, दे.अ.वि.वि., इन्दौर

- 3 डॉ० जी. मिश्रा, प्राध्यापक, मौतिकी अध्ययनशाला, दे अ.वि.वि.इन्दौर 4 डॉ० एम, बैनर्जी, प्राध्यापक, भौतिकी अध्ययनशाला, दे अ.वि.वि.इन्दौर
- 5 डॉ० एस.एन. काने. प्राध्यापक, मोतिकी अध्ययनशाला, दे.अ.वि.वि.इन्दौर
- 6 डॉ० वाय चौयल, प्राध्यापक, भौतिकी अध्ययनशाला, दे.अ.वि.वि.इन्दौर
- 28 (2)(दो) महाविद्यालयों के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष जो स्नातकोत्तर स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हों जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जायेंगे।
 - 1 डॉ० उमेश साकल्ले, प्राध्यापक एवं विमागाध्यक्ष, मौतिकशास्त्र, शास. एस.एन. पी.जी. महाविद्यालय, खण्डवा
 - 2 डॉ0 प्रवीण ए. केकरे, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, भौतिकशास्त्र, पी.एम.बी. गुजराती विज्ञान महाविद्यालय इन्दौर
- 28 (2)(तीन) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा अध्ययन केन्द्रों में से एक उपादार्थ जो उक्त विषयों का अध्यापन करता हो, जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किया जायेगा।
 - 1 रिक्त
- 28 (2)(चार) महाविद्यालयों के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष जो उपाधि (स्नातक) स्तर तक उक्त विषयों का अध्ययन करते हों. जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जायेगे 12
 - 1 प्रो0 संजय साठे, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, भौतिकशास्त्र, शहीद भीभानायक शास. स्नातकोत्तर सहाविद्यालय, बडवानी
 - भहिमा जैन, सहायक प्राध्यापक एवं विमागाध्यक्ष, मौतिकशास्त्र, महाराजा रणजीतसिंह कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल साइंस, इन्दौर

28 (2) (पॉच) उक्त विषयों के अधिक से अधिक दो अध्यापक जो कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे

डॉ० प्रदीप शर्मा, प्राध्यापक, भौतिकशास्त्र, शास० होल्कर विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर

डॉ० रश्मि संघवी, सहायक प्राच्यामक, मौतिकशास्त्र, पी एम बी. गुजराती विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर

28 (2) (छः)कुलपति द्वारा नियुक्त एक विद्यार्थी जो परिनियम में अभिकथित अर्हतायें रखता हों।

28 (2) (सात) बोर्ड द्वारा सहयोजित दो सदस्य :

2/ कुलपति द्वारा डाॅ० जी. मिश्रा, प्राध्यापक, भौतिकी अध्ययनशाला, दवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर को घारा 28 (2) एवं 28 (3) के तहत् अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है।

कुलपतिजी के आदेशानुसार

क शैक्षणिक / एक / भौतिकशास्त्र अ.म. / 2018 / 2149 दिनांक 1.6.0CT 2018 प्रतिलिपि -

अध्ययन मण्डल के समस्त सदस्यगण

उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय/प्रशासन)

सहा-क्लसचिव (परीक्षा/गोमनीय/प्रशासन) देवी अहिल्या वि.वि.इन्दौर

कुलपतिजी के सचिव

कुलसचिवजी के निज सहायक की ओर सूचनार्थ 5

सहा-क्सावव

N.K. Sharma /Board Adhisuchana /2018



sersion 21

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

freed weeth 4111, grate - 342 500

क शैशिक/एक/माईकोबागोलॉची अ.म./2018/1345

18 MIL 7 JUL 2018

//अधिसूचना//

गण्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम -1973 की धारा 28 की उपलब्ध (१) (४) क अनुसार जीवन विद्यान संकाय के अन्तर्गत गाईकोबायोगों जा गण्डल के। गडन अधिसूचना दिनांक से तीन वर्ष के शिये निम्नानुसार किया जाता है

- 28 (ह)(एक) उन विषयों के जिनके लिये कि बोर्ड का गठन किया परा ती. तिश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्यापन कन्द्रों वे भावाय ।
 - । डॉ० सरेश चॉट, प्राध्यापक, जीवन विद्यान अ.शा. देश विदि इन्हार
 - 2 डॉ० जी.मी. पाण्डेय, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, जीवन विद्यान आहा. दे अ.वि.वि. इन्दौर
 - 3 ऑ0 आनन्द कर, प्राध्यापक, जीवन विज्ञान आशा., वे.आ.नि.वि., इन्दीर
 - ा डॉ० के हजेला, प्राध्यापक, जीवन विज्ञान अ.शा. देश जिलि इन्हा
 - 5 डॉ० अजना जाजू, प्राध्यापक, जीवन विज्ञान अ शा., ए अ वि वि उन्होंन
- 28 (2)(दो) महाविद्यालयों के महाविद्यालयीन विभागों के दो निभागध्यक्ष जो रनातकोत्सर स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हो जो कुलपति द्वारा ज्येन्द्रता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित कियो जाये में !
 - 1 डॉंंं संजय व्यास, प्राध्यापक एवं स्नातकोत्तर विभागाध्यक्ष. भाईकोबायोलॉजी, शास. उक्ष्ठ होत्कर विद्यान गहाविधालय, इन्दौर
 - 2 डॉ० मूरोन्द भार्गव, रनातकोत्तर विभागाध्यक्ष, माईकोषायोलाजी, जी रवा गुर्जर वाल निकेतन महाविद्यालय, सनावद
- 28 (2)(तीन) विश्वविद्यालयींन अध्यापन विमागो तथा अध्यापन केन्द्रों में से एव उपाचार्य जो उक्त विषयों का अध्यापन करता हो, जो कुलपति हुए। ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किया जासेगा
 - 1 रिक्त
- 28 (2)(चार) महाविद्यालयों के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष जो उपाधि (स्नातक) स्तर तक उन्त विषयों का अध्ययन करते हो, जो व्हापि द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये अधेय
 - 1 रिवत
 - 2 रिक्त

1 डॉंट टी. वैनर्जी, व्याख्याता, जीवन विज्ञान अध्ययमाता चेनी अहिन्छ। विश्वविद्यालय, इन्दौर डॉंट पुकेश पाटीदार, सहा, पाध्यापक, माईकोबायोलॉली, महाराजा रणाणेता सिंह कॉलेंज ऑफ पोफेशनल साहस, इन्दोर

रत (2) (छः)बहुलपति द्वारा नियुक्त एक विद्यार्थी जो परितियम में अभिकांशत आईसारी रखना हो ।

28 (2) (सात) बोर्ड द्वारा सहयोजित दो सदस्य

2/ गुलपति द्वारा डाॅ० के. हजोला, प्राध्याधक, जीवन विद्यान अत्या, रे अभिनि। इन्दोर को धारा 28 (2) एवं 28 (3) के तहल अध्यक्षण मण्डल का भव्यक्ष भनोतीत किया गया है।

> मुहामाधियो से गाहिताहुसार क्रिक्ट्रिक

ह शक्षिक/एक/माईकोबायोलॉजी अ.म./२०१३/1345 विनाक में अपि 2018 प्रतिनिधि —

अध्ययन मण्डल के समस्त सदस्यगण

उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय/प्रशासन)

सहा-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय/प्रशासन)

कुलपतिजी के सचिव

कुलसचिवजी के निज सहायक की ओर सूचनार्थ ।

वेची आहिएया चिति इन्दोन

सारा-महाराभित (भेश)

A. K. Sharma / Round Authinic Street /2018



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर किश्वविद्यालय महीन, 21

इन्दौर - 452 001

क. शैक्षणिक / एक / बायोटेवनालॉजी अ.म. / 2019 2069

दिनांक **羅17 JUN 2019**

// अधिसूचना//

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा 28 की उपघारा (2)(4) के अनुसार जीवन विज्ञान संकाय के अन्तर्गत बायोटेक्नालों जी अध्ययन मण्डल का गठन अधिसूचना दिनांक से तीन वर्ष के लिये निम्नानुसार किया जाता है :-

- 28 (2)(एक) उन विषयों के जिनके लिये कि बोर्ड का गठन किया गया हो, विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्यापन केन्द्रों के आचार्य ।
 - डॉ0 अंजना जाजू, आचार्य एवं विमागाध्यक्ष, बायोटेक्नालॉजी, बायोटेक्नालॉजी अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर
- 28 (2)(दो) महाविद्यालयों के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष जो रनातकोत्तर स्तर तर्क उक्त विषयों का अध्यापन करते हों जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जायेंगे।
 - प्रो0 नवीन जोशी, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, श्री जयंतीलाल संघवी गुजराती इनोवेटिव कॉलेज ऑफ कॉमर्स एण्ड साईन्स, इन्दौर डॉं प्रमोद कुमार सिंह, सहायक प्राध्यांपक एवं विभागाध्यक्ष, किश्चियन एमिनेंट एकंडमी ऑफ मैनेजमेंट, प्रोफेशनल एज्युकेशन एण्ड रिसर्च, इन्दौर
- 28 (2)(तीन) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा अध्ययन केन्द्रों में से एक उपाचार्य जो उक्त विषयों का अध्यापन करता हो, जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किया जायेगा।
 - रिक्त
- 28 (2)(चार) महाविद्यालयों के महाविद्यालयीन विमागों के दो विभागाध्यक्ष जो उपाधि (स्नातक) स्तर तक उक्त विषयों का अध्ययन करते हों, जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जायेंगे।
 - डॉ० प्रिती व्यास, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, बायोटेक्नॉलाजी पी.एम.बी. गुजराती साइंस कॉलेज, इन्दौर
 - 2 स्थ्री रिमता चौधरी, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, श्री कॅवरतारा साइंस एण्ड कॉमर्स महाविद्यालय, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन



28 (2) (पाँच) उक्त विषयों के अधिक से अधिक दो अध्यापक जो कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे।

अं व मुकेश पाटीदार, सहायक प्राच्यापक, बायोटेक्नालॉजी, महाराजा, रणजीतसिंह कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल साइंसेस, खण्डवा रोड, इन्दौर

अंग श्रीमती विधि तिवारी, सहायक प्राध्यापक, बायोटेक्नालॉजी, किश्चियन एमिनेन्ट एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट, प्रोफेशनल एज्युकेशन एण्ड रिसर्व, इन्दौर

28 (2) (छ:)कुलपति द्वारा नियुक्त एक विद्यार्थी जो परिनियम में अभिकथित अर्हतार्थे रखता हों।

28 (2) (सात) बोर्ड द्वारा सहयोजित दो सदस्य :

2/ कुलपति द्वारा डाॅ० अंजना जाजू आचार्य एवं विमागाध्यक्ष, बायोटेक्नालॉजी अध्ययन शाला देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर को घारा 28 (2) (एक) एवं 28 (2) (तीन) के तहत् अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है ।

कुलपतिजी के आदेशार्नुसार

कं.शैक्षणिक/एक/नायोटेक्नालॉंजी अ.म./2019/2069 दिनांक प्रतिलिपि -

體17 JUN 2019

अध्ययन मण्डल के समस्त सदस्यगण

उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय/प्रशासन/ पी.एच.डी. सेल)

सहा-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय/प्रशासन)

क्लपतिजी के सचिव

कुलसचिवजी के निज सहायक की ओर सूचनार्थ 5

देवी अहिल्या वि.वि.इन्दौर

N.K.Sharma /Board Adhisuchana . /2019





विश्वविद्यालय भवन. इन्दौर - ७५२ ००१


क. शीक्षणिक / एक / इलेक्ट्रानिक्स अ म / 2020

Paris

//अधिसूचना//

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम —1973 की धारा 28 की उपधारा (2) (4) के अनुसार इंजीनियरिंग साईंस संकाय के अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक्स अध्ययन मण्डल का गठन, अधिसूचना दिनांक से तीन वर्ष के लिये निम्नानुसार किया जाता है :-

- 28 (2)(एक) उन विषयों के जिनके लिये कि बोर्ड का गठन किया गया हो, विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्यापन केन्द्रों के आचार्य।
 - 1 डाँ० सुमन्त कटियाल, आचार्य, स्कूल ऑफ इलेक्ट्रानिक्स, दे.अ.वि.वि., इन्दौर
 - 2 डॉ० अमय कुमार, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, इलेक्ट्रानिक्स, स्कूल ऑफ इलेक्ट्रानिक्स, दे.अ.वि.वि., इन्दौर
- 28 (2)(दो) महाविद्यालयों के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष जो स्नातकोत्तर स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हों जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी—बारी से नाम निर्देशित किये जायेंगे।
 - 1 रिक्त
 - 2 रिक्त
- 28 (2)(तीन) विश्वद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा अध्ययन केन्द्रों में से एक उपाचार्य जो उक्त विषयों का अध्यापन करता हो, जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किया जायेगा।
 - 1 रिक्त
- 28 (2)(चार) महाविद्यालयों के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष जो उपाधि (स्नातक) स्तर तक उक्त विषयों का अध्ययन करते हों, जो कुलपित द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जायेंगे।
 - अडॉ० विमल शर्मा, सहायक प्राध्यापक एवं विमागाध्यक्ष, पी०एम०बी० गुजराती साइंस कॉलेज, इन्दौर
- ्रश्री प्रदीप पुरे, सहायक प्राध्यापक एवं विमागाध्यक्ष, इलेक्ट्रानिक्स, महाराजा रणजीतसिंह कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल साइंसेस, खण्डवा रोड, इन्दौर



28 (2) (पॉच) जनत विषयां के अधिक रो आक्रिक को अध्यक्त को क्षत्रवास द्वारा साम नाम विदेशित किसे जनसभा

- 1 कीति पंचार भाटी, राहारक प्राध्यापक स्कूल आफ इलेक्ट्रानिक्स दे अ विक्र
- 2 प्रो० भनीष जोशी, सहायक प्राध्यापक इलयहानिकः । प्राय गुजरानी विद्या महाविद्यालय, इन्द्रीर
- 28 (2) (छ:)कुलपति द्वारा नियुक्त एक विद्यार्थी जो परिनियम में अभिकथित अईतायें रखता हो ।
- 28 (2) (सात) बोर्ड द्वारा सहयोजित दो सदस्य
 - 2/ कुलपति द्वारा डाँ० अगय कुमार आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, इलेक्द्रानिक्स स्कूल ऑफ इलेक्द्रानिक्स दे अ वि वि., इन्दौर को धारा 28(2) एवं 28 (3) के तहत् अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है ।

क्लपतिजी के आदेशानुसार

कुलसचिव

कं शैक्षणिक / एक / इलेक्ट्रानिक्स अ.म. / 2020 / ० ८ प्रतिलिपि —

1 अध्ययन मण्डल के समस्त सदस्यागण

2 उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय/प्रशासन/ पी.एच.डी. सेल)

3 सहा-कुलसिव (परीक्षा / भोएनी प प्रमासन)

4 कुलपतिजी के सविव

5 कुलसधिवजी के निज सहायक की ओर सूचनार्थ।

दिनाक

दंवी अहिल्या वि.वि.इन्दौर



2028-21 DORE

DEVI AHILYA UNIVERSITY, INDORE

Spt. VIII (4)/2018-2021

Indore Date: 21.08.18

-: Revised Memorandum:-

Kulpatiji has nominated the following Members under the statute no. 37 Sports Committee.

Statute no. 37-1(III)

1. Dr. (Mrs) S. Vaskel, Principal, Mata Jijahai Govt. Girls P.G. College, Indore.

2. Dr. Anil Kapadia, Principal, Seva Sadan College, Burhanpur.

- 3. Dr. Ashok Kumar Sharma, Prof. & Head, School of Chemistry, DAVV., Indore.
- 4. Dr. Sanjay Tanwani, Prof. & Head, Sch. of Computer Sci. & IT, DAVV., Indore.
- 5. Dr. Deepak Mehta, Porf. & Head School of Physical Education, DAVV., Indore.

Statute no. 37-1(IV)

1. Dr. S.L. Dewra, Prof. Govt. PG College, Alirajpur.

2. Dr. Usha Jain, Prof. ABV Got. Arts & Commerce College, Indore.

3. Prof. Rafi Mohd. Shaikh, Asst. Prof., PMB Guj. Commerce College, Indore.

4. Dr. Preeti Singh, Asso. Porf. & Head School of Commerce, DAVV, Indore.

Statute no. 37-1(VII)

1. Dr. Mahendra Kumar Mishra, Sports Officer, Govt. PG College, Manayar.

2. Dr.Nilesh Mandloi, Sports Officer, Maharaja Ranject Singh College, Indore.

2/ The term of members under item 1(III, IV & VII) shall be three years. A copy of the new statute No. 37 Sports Committee is enclosed for perusal of the members.

(Dr.Sunil Dudhale)

Incharge Director of Physical Education

Enc. As above
Endt. Spt. VIII(4)/2018-2021/
Indore Date: 21-08-18

C.C. to,

1. All members Sports Committee Devi Ahilya University, Indore.

2. Principal/Dean/Director/Chairman/Head All College/Institute/Department/ UTD, Sports Association, Devi Ahilya University, Indore.

3. Sports Officer, All College, Devi Ahilya University, Indore.

4. All Officer, Devi Ahilya University, Indore.

5. Incharge I.T Center for uploading on website.

(Incharge Director Physical Education)

---00---

विश्वविद्यालय भवन, इन्दौर — 452 001

कमांक/शैक्ष./1/विद्या परिषद //2018/722

13 APR 2018

		7.7
विषय :	//ज्ञाप // म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम —1973 की घारा 25 (1) के अन्तर्गत विद्या परिषद् का गठन :	
(एक) 1.	कुलुपति डॉ. नरेन्द्र कुमार धाकड़ कुलपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर	अध्यक्ष,
<u>(दो) 2.</u>	कुलाधिसचिव पदेन	सदस्य
(तीन) 3,	डॉ. के.एन. चतुर्वेदीं, क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विमाग, म.प्र. शासन, इन्दौर	सदस्य
<u>(चार) 4.</u> (पांच) 5.	अध्यक्ष, मध्यप्रदेश, माध्यमिक शिक्षा मण्डल समी संकायों के संकायाध्यक्ष :-	सदस्य
1.	पदेन संकायाध्यक्ष— कला संकाय, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर	सदस्य
2.	डों. श्रीमती रेखा आचार्य संकायाध्यक्ष- रागाज विज्ञान, अर्थशास्त्र अध्ययन शाला देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर	सदस्य
3	पदेन संकायाध्यक्ष— विज्ञान संकाय, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर	सदस्य
4	पदेन संकायाध्यक्ष, गृह विज्ञान देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर	सदस्य
5.	पदेन संकायाध्यक्ष— यांत्रिकी संकाय, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर.	सदस्य
6	पदेन संकायाध्यक्ष— प्रबंधकीय संकाय, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर.	सदस्य
7	पदेन संकायाध्यक्ष— शिक्षा संकाय, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर.	सदस्य
8	पदेन संकायाध्यक्ष- विधि संकाय. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर	सदस्य S.C.

Pousonal file



18	डाँ० वी.बी. गुप्ता डाटा साइंस अध्ययनशाला.	सदस्य
19	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर. डॉ० आनन्द सप्रे. निदेशक आय.आय.पी.एस.,	सदस्य
20	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर. डॉंं रत्नेश गुप्ता इसंदू मेन्टेशन अध्ययन शाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर.	सदस्य
21	डॉ० एस.पी. सिंह उर्जा एवं पर्यावरण अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर.	सदस्य
22	डॉo≆संजीव टोकेकर आई.ई.टी. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर.	सदस्य
23	डॉ० मनीष सितलानी, विधि अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर.	सदस्य
24	डॉ० रेखा आचार्य, समाज विज्ञान अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्टौर	सदस्य
25	डॉ० प्रीति सिंह, वाणिज्य अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर	सदस्य

(आठ) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय के पाँच प्राचार्य, जो कुलपति द्वारा नाम- निर्विष्ट हो, जिनमें यथा संमव कम-से-कम दो महिला प्राचार्य होगी:-

	THE REPORT OF THE PROPERTY OF	
	जो आसन्द निर्द्धी जंकर,	arare
(महाराजा रणजीतसिंह कॉलेज, इन्दौर 2 डॉ. किरण दम्मानी,	सदस्य
	गुजराती बी.एड. कॉलेज, इन्दौर	सदस्य
	3 डॉ. योगेश्वरी फाटक.	सदस्य
	प्रेस्टिज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इन्दौर 4 डॉ. कुसुमलता निगवाल,	11464
	शास, महारानी लक्ष्मीबाई कन्या महा उन्हें	सदस्य
	ज जा. बा.एल बिलवे	Times and
9	शास. महाविद्यालय, मण्डलेश्वर	सदस्य
	(नो)विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय के दो आचार्य,	जो
	1 डॉ. निर्मल प्रमाणिया	
	शास. नवीन विधि महाविद्यालय, इन्दौर 2 डॉ. राजेन्द्र जैन	सदस्य
	पी.एम.बी. गुजराती वाणिज्य महा. इन्दौर	सदस्य



GOVT. HOLKAR (MODEL AUTONOMOUS) SCIENCE COLLEGE, A.B.

DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY & BIOINFORMATICS

Indore, Date: 29/05/2019

Dr. Anand Nighojkar
Principal, M.R.S. College, Indore
Sub-: Meeting of Board of Studies 2019-20.
Sir,

With due regards I wish to invite you as an expert/university representative in a meeting of Board of Studies going to held on 03/06/2019 in the Department of Biotechnology & Bioinformatics, Govt. Holkar Science College Indore (M.P) at 11.00 AM.

Dr. Kiran Billore
Dept. of Biotechnology & Biginforma
Govt. Holkar Science College Indor



हन्दौर — 452 001

क. शैक्षणिक / एक / भौतिकशास्त्र अ.म. / 2018/2149

1 6 OCT 2018

//अधिसूचना//

गध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम —1973 की धारा 28 की उपधारा (2) (4) के अनुसार विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिकशास्त्र अध्ययन मण्डल का गडन अधिसूचना दिनांक से तीन वर्ष के लिये निग्नानुसार किया जाता है :-

- 28 (2)(एक) उन विषयों के जिनके लिये कि बोर्ड का गठन किया गया हो. विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्यापन केन्द्रों के आचार्य।
 - उडाँ० आशुतोष मिश्रा, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, भौतिकी अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर
 - 2 डॉ० प्रतिमा सेन, प्राध्यापक, भौतिकी अध्ययनशाला, दे अ वि.वि. इन्दौर
 - 3 डॉ० जी. भिश्रा, प्राध्यापक, भौतिकी अध्ययनशाला, दे.अ.वि.वि.इन्दौर
 - 4 डॉ0 एम. बैनर्जी, प्राध्यापक, मौतिकी अध्ययनशाला, दे अ.वि.वि.इन्दौर
 - 5 डॉ० एस.एन. काने, प्राध्यापक, मीतिकी अध्ययनशाला, दे अ.वि.वि.इन्दोर
 - 6 डॉ० वाय चौयल, प्राध्यापक, भौतिकी अध्ययनशाला, दे अ वि वि इन्दौर
- 28 (2)(दो) महाविद्यालयों के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष जो स्नातकोत्तर स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हों जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जायेंगे।
 - ग डॉ० उमेश साकल्ले, प्राध्यापक एव विभागाध्यक्ष, गीतिकशास्त्र, शास. एस.एन. पी.जी. महाविद्यालय, खण्डवा
 - 2 डॉ० प्रवीण ए. केकरे. प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, भौतिकशास्त्र, पी.एग.वी मुजराती विज्ञान महाविद्यालय इन्दौर
- 28 (2)(तीन) विश्वविद्यालयीन अध्यापनं विभागों तथा अध्ययन केन्द्रों में से एक उपाचार्य जो उक्त विषयों का अध्यापन करता हो, जो कुलपति द्वारा उथेष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किया जायेगा।
 - 1 रिवत
- 28 (2)(चार) महाविद्यालयों के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष जो लपाधि (स्नातक) स्तर तक उक्त विषयों का अध्ययन करते हो, जो कुलपति द्वारा ज्येष्टता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जायेंगे।
 - 1 प्रो0 संजय साठे, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, भौतिकशास्त्र, शहीद भीमानायक शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बढवानी अमिरिमा जैन, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, भौतिकशास्त्र



विश्वविद्यालक भवना इन्दर्भ - ४५२ ००१

क शैक्षणिवा/एक/जीवन विद्यान अ.ग./2018/1195

11 9 JUN 2018

//अधिस्वना//

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम -1973 की धारा 28 की उपधारा (2) (4) के अनुसार जीवन विद्यान विद्यान सकाय के अन्तर्गत जीवन विद्यान अध्ययन मण्डल का गडन अधिसूचना दिनांक से तीन वर्ष के लिये विम्तानुसार किया जाता है :-

- 28 (2)(एक) उन विषयों के जिनके लिये कि बोर्ड का गठन किया गया हो. विश्वविद्यालगीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्यापन केन्द्रों के आवार्य ।
 - ा डॉ० स्रेश वॉद प्राध्यापक, जीवन विज्ञान अ.शा. हे अति वि. इन्दोर
 - 2 डॉ० जी.पी. भाण्डेय, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, जीवन विज्ञान आ.शा. दे.अ.वि.वि., इन्दौर
 - 3 डॉ० आनर्द कर, प्राध्यापक, जीवन विज्ञान अ.शा., दे.अ.वि.वि., इन्दोर
 - 4 डॉ० के हजोला प्राध्यापक जीवन विज्ञान अ शा., दे अ वि.वि. इन्दीर
 - 5 डॉव अंजना जाजू प्राध्यापक जीवन विज्ञान अथा ये.अ.विवि इन्होर
- 28 (2)(दो) महाविद्यालयों के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष जो स्नातकोत्तर स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हो जो कुलपति द्वारा ज्येष्टता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जायेंगे।
 - डॉंग मोनिका जैन, प्राध्यापक एवं स्नातकोत्तर विभागध्यक्ष, जीवन विज्ञान, महाराजा रणलीत सिंह कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल साइस, इन्दौर
 - 2 ड़ॉ0 अनिता दुवे, सहायक प्राध्यापक एवं स्नातकोत्तर विमागाध्यक्ष, एग.वी. खालसा महाविद्यालय, इन्दौर
- 28 (2)(तीन) विश्वद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा अध्ययन केन्द्रों में से एक उपाद्मार्य जो उक्त विषयों का अध्यापन करता हो, जो कुलपित हास ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किया जायेगा।
 - 1 रिवत
- 28 (2)(चार) महाविद्यालयों के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष जो सपाधि (स्नातक) रतर तक उक्त विभयों का अध्ययन करते हों, जो कुलपति हारा ज्येष्टता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जायेंगे।
 - 1 रिक्ल
 - 2 रिक्त



on washing your measuratest on n / 2010/1345

10 mm - 7 JUL 2018

//aftragram//

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालग अभिनियम -1973 की भारत 23 की अन्तर के विश्व अनुसार जीवन विज्ञान सकाव के अन्तर्भत भारतभेव भारतभेव मध्य के किया विश्वव किया कार्य मध्य अ

28 (१)(एक) उन विषयों से जिनको सिये कि बोर्ड का महन किया गण है। निश्वविद्यास्त्रीन आध्यापन निमामी सम्बद्धापन करना है अवसी ।

- । डॉव सरेश चॉद, प्राध्यापक, जीवन विद्यान अश्व । अविष
- 2 डॉव जी.पी. पाण्डेय, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, लीवन विकास म सा
- उ टॉंक आनन्द मार प्राध्यापक कीवन निधान अध्य अध्य अधि अधि
- व शिव के हकोला, प्रस्थापक, जीवन विहास अथा है जिल्
- 5 और अवसा जाजू प्राध्यापक, जीवन विद्यान अशा । अधि व नाम
- 28 (2)(दो) महाविद्यालयों के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागायल जा श्मातकोत्तर स्तर तक उक्त विभयों का अध्वापन करता हा को उन्हाल द्वारा ज्येष्यता के अनुसार वारी-वारी से गांग निर्देशित विका वार्यक ।
 - । डॉंंंं संलोग व्यास, प्राध्यापक एवं स्थातकारक विभागाध्यक माईकोबायोलों जी, शास उक्ट होत्वर विद्यान महाविधालय उन्होंं
 - 2 डॉव भूपेन्द्र भागंच, स्नातकोत्तर विभागाध्यक्ष मार्चकोवायोत्वा का उत्त भूजीर वाल निकेतन महाविद्यालय, सनावद
- 28 (2)(तीन) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागी तथा आग्याम करता हो. जो बहुताकी करता उपाधार्य जो तकत विषयों का अध्यापन करता हो. जो बहुताकि कर उथेष्टरम को अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किया करता
 - र विवस
- 28 (2)(कार) महाविद्यालयों के महाविद्यालयोग विमाण के को विभागकारका जो कर्णा (स्थातक) स्तर तक जवत विषयों का अध्ययन करने के जो का अध्ययन विषय जोकता के अनुसार गारी करने थे नाम विदेशिक विकास करने
 - 1 Port
 - 2 रिवल



28 (2) (प्राच) उत्ता विषय) ये अधिक से अधिक हो अध्यापक जा महापांच वारा नाम निदेशित किये जायेगे । डॉ॰ टी बैनजी व्याख्यांसा जीवन विद्यान आस्थानस्थान होते विद्यान विश्वविद्यालयः इन्दीर आंग पुर्वाया पार्ट)दार, सहा, प्राच्यामक, महक्किकाणकारको संदर्धको प्राचन सिंह का लेचा आफ प्रोफ्रेशमल साइस इन्तर रह (2) (छः)कुलपति द्वास नियुक्त एक विद्याशी जो परिनिधम में अभिकांणांच विद्यार्थी रखना हो । 28 (2) (सारा) बोर्स द्वारा सहयोजित दो सत्रामः मुलपति द्वारा ठींत के. हजोसा प्राध्यापक, जीवन विद्यान वासा, व अ विनि हस्तीर को धारा 28 (2) एमं 28 (4) को सम्बं अहमाना माना माना वासा यनोनील किया गमा है। aggrafia in any 11 time 明明 出海 हर शेक्षणिक/एक/माईकोबायोलाँजी अ.म./२०१८/१३५८ विसाल - में और १०१८ 一 印创商品 अध्ययन भण्डल के समस्त सदस्यगण लय-क्लसचिव (परीक्षा/गोपनीय/प्रशासन) सहा-क्लसिच (परीक्षा/गोपनीय/प्रशासन) रेशा अधिला विकि इस्ति क्लपतिजी वो सचिव कुलसिवन्त्री के निज सहायक की ओर स्वनार्थ । MUR 3 K Sharma Buard Rahiouchana /2015

विश्वविद्यालय भवनः ११-२० इन्द्रीर - ४५२ ००१

क. शेक्षणिक/एक/बायोदेवनालाँजी अ.म./2019 2069

薩77 JUN 2019

// अधिसूचना//

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम—1973 की धारा 28 की उपधारा (2)(4) के अनुसार जीवन विज्ञान संकाय के अन्तर्गत बायोटेक्नालॉजी अध्ययन मण्डल का गउन अधिसूचना दिनांक से तीन वर्ष के लिये निम्नानुसार किया जाता है :-

- 28 (2)(एक) उन विषयों के जिनके लिये कि बोर्ड का गउन किया गया हो. विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्यापन केन्द्रों के आचार्य।
 - 1 डॉ0 अंजना जाजू, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, बायोटेवनालॉजी, बायोटेवनालॉजी ४ अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर
- 28 (2)(दो) महाविद्यालयों के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष जो स्नातकोत्तर स्तर तर्क उक्त विषयों का अध्यापन करते हों जो कुलपित द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी—बारी से नाम निर्देशित किये जायेंगे ।
 - प्रो0 नवीन जोशी, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, श्री जयंतीलाल संघवी गुजराती इनोवेटिव कॉलेज ऑफ कॉमर्स एण्ड साईन्स, इन्दौर डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, किश्चियन एमिनेंट एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट, प्रोफेशनल एज्युकेशन एण्ड रिसर्च, इन्दौर
- 28 (2)(तीन) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा अध्ययन केन्द्रों में से एक उपाचार्य जो उक्त विषयों का अध्यापन करता हो, जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किया जायेगा ।
 - 1 रिवत
- 28 (१)(चार) महाविद्यालयों के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष जो उपाधि (स्नातक) स्तर तक उक्त विषयों का अध्ययन करते हों, जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार वारी—बारी से नाम निर्देशित किये जायेंगे ।
 - ्र डॉ० प्रिती व्यास, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, बायोटेवनॉलाजी पी.एम.बी. गुजराती साइंस कॉलेज, इन्दौर
 - 2 सुष्री स्मिता चौधरी, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, श्री कॅवरतारा साइंस एण्ड कॉमर्स महाविद्यालय, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन





28 (2) (पाँच) उक्त विषयों के अधिक से अधिक दो अध्यापक जो कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे।

अंग मुकेश पाटीदार, सहायक प्राध्यापक, वायोटेक्नालॉफी, महाराजा : रणजीतसिंह कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल साइंसेस, खण्डवा सेंह, इन्होर

अाँ० श्रीमती विधि तिवारी, सहायक प्राध्यापक, बायोटेक्नालॉजी, किश्चियन एमिनेन्ट एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट, प्रोफेशनल एज्युकेशन एण्ड रिसर्घ, इन्दौर

28 (2) (छ:)कुलपति द्वारा नियुक्त एक विद्यार्थी जो परिनियम में अभिकथित अर्हतायें रखता हों।

28 (2) (सात) बोर्ड द्वारा सहयोजित दो सदस्य :

2/ कुलपति द्वारा डाॅ० अंजना जाजू, आचार्य एवं विमागाध्यक्ष, बायोटेक्नालांजी अध्ययन शाला देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर को घारा 28 (2) (एक) एवं 28 (2) (तीन) के तहत् अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है।

कुलपतिजी के आदेशा/र्सार

कं.शैक्षणिक/एक/सायोरेन्नालॉजी अ.म./२०१९/२०६९ दिनांक

प्रतिलिपि -

腱17 JUN 2019

अध्ययन मण्डल के समस्त सदस्यगण

उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय/प्रशासन/ पी.एच.डी. सेल)

सहा-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय/प्रशासन)

कुलपतिजी के सचिव

कुलसचिवजी के निज सहायक की ओर सूचनार्थ।

देवी अहिल्या वि.वि.इन्दौर

N.K. Sharma /Board Adhisuchana ./2019





विकारिकालय संवद इंग्लीय - ४६३ गण

क, श्रीकालिक / एक / इसेनदानिक्स अ म / 2020

(株工) ·

// 3167 4

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम -1973 की धारा 28 की उपवास (2) (4)के अनुसार इंजीनियरिंग साईस संकाय के अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक्स अध्ययन मण्डल का गठन, अधिसूचना दिगांक से तीन वर्ष के लिये निम्नानुसार किया जाता है :-

- 28 (2)(एक) उन विषयों के जिनके लिये कि बोर्ड का गउन किया गया हो। विश्वविद्यालयीन अध्यापन विम्तनों तथा प्राध्यापन केन्द्रों के आचार्य।
 - 1 डॉंठ सुमन्त कटियाल, आघार्य, स्कूल ऑफ इलेक्ट्रानिक्स, दे.अ.वि.वि. इन्दीर
 - 2 डॉ० अभय कुमार, आचार्य एवं विमागाध्यक्ष, इलेक्ट्रानिक्स, एक्ट्रल ऑफ इलेक्ट्रानिक्स, दे.अ.वि.वि., इन्दौर
- 28 (2)(दो) महाविद्यालयों के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष जो स्नातकोत्तर स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हों जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी—बारी से नाम निर्देशित किये जायेंगे।
 - । रिक्ल
 - 2 रिक्स
- 28 (2)(तीन) विश्वद्यालयीन अध्यापन विभागों राक्षा अध्ययन केन्द्रों में से एक खपाचार्य जो उक्त विषयों का अध्यापन करता हो, जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार वारी-बारी से नाम निर्देशित किया जायेगा।
 - 1 रिवत
- 28 (2)(चार) महाविद्यालयों के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष जो उपाधि (स्नातक) स्तर तक उक्त विषयों का अध्ययन करते हों, जो कुलपित द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाग निर्देशित किये जायेंगे।
 - अ विमल शर्मा, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, पी०एम०बी० गुजराती साइंस कॉलेज, इन्दौर
 - ्रश्री प्रदोप पुरे. सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, इलेक्ट्रानिक्स, महाराजा रणजीतसिंह कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल साइंसेश खण्डवा रोड इन्दौर



28 (२) (पी ह) उपना विषया व अविष र व्यान fighter that said

- कीति प्रवार अग्रें। सहार क द्रात्यापक स्थाल आह. इलेक्ट प्रिक्ट हिन्छक है जे विक्
- Win stelly satelly vieral mental descriptions of the godern's factor
- 28 (2) (छः)कुलपति द्वारा नियुवत एक विचार्थी जो परिनियम में अभिकथित अहंताये
- 28 (2) (सात) बोर्ड द्वारा सहयोजित तो सदस्य
 - 2/ कुलपति हारा डॉ० अन्य कुमार आवाये एव विभागाच्यक्ष, इलेयदानिक्स, स्कूल ऑफ इलेक्ट्रानिक्स दे अधि वि. इन्दौर को धारा 28(2) एव 28 (3) के तहत अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है

क्लपतिजी के आदंशान्सार

कं शक्षाणिक / एक / इलेक्ट्रानिक्स अम / 2020 / 96 प्रतिलिपि -

- अध्ययन मण्डल को समस्य सदस्य गण
- उप-कुलसिव (परीक्षा/गोपनीव/प्रशासन/ पी. एच.डी. रोल)
- शासा-कुलसचिव (परीक्षा / गोगर्स १ / प्र-१ सन्)
- कुलपतिजी के सचिव
- बुलसधिवजी के निज सहारक की और गुवनार्थ ।

देवी आहित्या वि.वि.इन्दीर



DEVI AHILYA UNIVERSITY, INDORE

Spt. VIII (4)/2018-2021

Indore Date: 21.08.18

-: Revised Memorandum:-

Kulpatiji has nominated the following Members under the statute no. 37 Sports Committee.

Statute no. 37-1(III)

- 1. Dr. (Mrs) S. Vaskel, Principal, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Indore.
- 2. Dr. Anil Kapadia, Principal, Seva Sadan College, Burhanpur.
- 3. Dr. Ashok Kumar Sharma, Prof. & Head, School of Chemistry, DAVV., Indore.
- 4. Dr. Sanjay Tanwani, Prof. & Head, Sch. of Computer Sci. & IT, DAVV., Indore.
- 5. Dr. Deepak Mehta, Porf. & Head School of Physical Education, DAVV., Indore.

Statute no. 37-1(IV)

- 1. Dr. S.L. Dewra, Prof. Govt. PG College, Alirajpur.
- 2. Dr. Usha Jain, Prof. ABV Got. Arts & Commerce College, Indore.
- 3. Prof. Rafi Mohd. Shaikh, Asst. Prof., PMB Guj. Commerce College, Indore.
- 4. Dr. Preeti Singh, Asso. Porf. & Head School of Commerce, DAVV, Indore.

Statute no. 37-1(VII)

- 1. Dr. Mahendra Kumar Mishra, Sports Officer, Govt. PG College, Manawar.
 2. Dr.Nilesh Mandloi, Sports Officer, Maharaja Ranject Singh College, Indore.
- 2/ The term of members under item 1(III, IV & VII) shall be three years. A copy of the new statute No. 37 Sports Committee is enclosed for perusal of the members.

(Dr.Sunil Dudhale)

for Registrar

Incharge Director of Physical Education

Indore Date: 21-08-18

Enc. As above Endt. Spt. VIII(4)/2018-2021/

C.C. to,

1. All members Sports Committee Devi Ahilya University, Indore.

2. Principal/Dean/Director/Chairman/Head All College/Institute/Department/ .UTD, Sports Association, Devi Ahilya University, Indore.

3. Sports Officer, All College, Devi Ahilya University, Indore.

4. All Officer, Devi Ahilya University, Indore.

5. Incharge I.T Center for uploading on website.

(Incharge Director Physical Education)

2014-20

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन इन्होर — ४५७ ००१

क. शैक्षाणिक / एक / इलोक्ट क्लिक्स अ.म. / 2020

विकास

//अधियमग//

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम —1973 की धारा 28 की उपधारा (2) (4)के अनुसार इंजीनियरिंग साईंस संकाय के अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक्स अध्ययन मण्डल का गठन, अधिसूचना दिनांक से तीन वर्ष के लिये निम्नानुसार किया जाता है —

- 28 (2)(एकं) उन विषयों के जिनके लिथे कि बोर्ड का गठन किया गया हो. विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्यापन केन्द्रों के आवार्य।
 - । डॉ० सुमन्त कटियाल, आचार्य, स्कूल ऑफ इलेक्ट्रानिक्स, दे.अ.वि.वि., इन्दीर
 - 2 डॉ० अमय कुमार, आचार्य एवं विमागाध्यक्ष, इलेक्ट्रानिक्स, स्कूल ऑफ इलेक्ट्रानिक्स, दे.अ.वि.वि., इन्दौर
- 28 (2)(दो) महाविद्यालयों के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष जो स्नातकोत्तर स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हों जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जायें में ।
 - 1 रिक्त
 - 2 रिक्त
- 28 (2)(तीन) विश्वद्यालयीन आध्यापन विभागों तथा अध्ययन केन्द्रों में से एक उपाचार्य जो उक्त विषयों का अध्यापन करता हो, जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार वारी-बारी से नाम निर्देशित किया जार्थगा
 - 1 रिवत
- 28 (2)(बार) महाविद्यालयों के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष जो उपाधि (स्नातक) स्तर तक उक्त विषयों का अध्ययन करते हो, जो कुलपित द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाग निर्देशित किये जायेंगे।
 - अ विमल शर्मा, सहायक प्राध्यापक एवं विमागाध्यक्ष, पी०एम०बी० गुजराती साइंस कॉलेज, इन्दौर
 - श्री प्रदोप पुरे. सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, इलेक्ट्रानिक्स, महाराजा रणजीतसिंह कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल साइसेस, खण्डवा रोड, इन्दौर



20 (2) (पाँच)उपल विषया के व्यक्ति र जाता । विषय स्थाप स्थाप व्यक्ति । विदेशिक विषये साम्या

- ा समिति भेवार भारी), साराहता इत्यासका सकता आहे इलोबदानिका ते अति। इन्दोर
- 2 प्राठ मनीच जाशी सहायत प्राट का व्याप्त क्षेत्रक विकास वित
- 28 (2) (छः)कुलपति द्वारा नियुक्त एक दिवाधी जो परिनियम में अभिकथिल अहंताये रखता हों ।
- 28 (2) (सात) बोर्ड द्वारा सहयोजित हो सतस्य
 - 2/ कुलपति द्वारा डॉ० अभग कुमार आयागे एवं विभागाध्यक्ष, इलेवदानिक्स स्कूल ऑफ इलेक्ट्रानिक्स दे अवि.वि. इन्दौर को धारा 28(2) एवं 28 (3) के तहत् अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है।

क्लपरिजी के आर्थानसार

सुलसचिव

कं.शैक्षणिक/एक/इलेक्ट्रानिक्स अ.म./2020/८/ प्रतिलिपि —

1 अध्ययन मण्डल को समस्त सदस्य (ण

उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय/प्रशासन/ पी.एच.डी. रोल)


3 सहा-कुलसचिव (परीक्षा / गोएस १ मा ।। सन्)

4 कुलपतिजी के सधिव

5 बुलसचिवजी के निज सहायक की और भूचनार्थ।

दिलाक.

देवी अहिल्या वि.वि.इन्दौर



शारीरिक शिक्षा एवं खेल निदेशालय खेल संकुल,तक्षशिला परिसर खण्डवा रोड,इन्दौर-452017 इन्दौर,दिनाक-20.01.2020

क्र.क्षीडा-एक। 31 ।/2019-20 प्रति, डॉ.प्रदीप पुरे, सहायक प्राध्यापक, महाराजा रणजीत सिंह महाविधालय, इन्दौर

विषय:— विश्वविद्यालयीन पाँवर लिफ्टिंग(महिला) दल पर प्रबंधक की नियुक्ति बाबद ।

महोदय,

निर्देशानुसार मुझे आपको सूचित करने का आदेश हुआ है कि आपको विश्वविद्यालय के पाँवर लिफ्टिंग(महिला) दल पर प्रबंधक नियुक्त किया गया है यह दल अखिल-भारतीय अन्तर-विश्वविद्यालयीन पाँवर लिफ्टिंग(महिला) प्रतियोगिता सत्र-2019-20 में हिस्सा लेगा । इस प्रतियोगिता का आयोजन मुम्बई विश्वविद्यालय,मुम्बई द्वारा दिनांक-22.01.2020 से दिनांक-25.01.2020 तक किया जा रहा है ।

2/ अतः आपसे निवेदन है कि आप दल पर होने वाले व्यय का अग्रिम तथा अन्य आवश्यक कागजात किसी भी कार्यालयीन समय में आकर कीड़ा विभाग कें कार्यालय से प्राप्त करने की कृपा करें । तथा स्पर्धा से लौटने के पश्चात 10 दिनों के अन्दर दल पर किये गये व्यय एवं स्पर्धा में अर्जित उपलब्धि से कार्यालय को अवगत करावें।

3/ यदि आपके द्वारा लिये गये अग्रिम का लेखा तथा आपका यात्रा देयक वित्तीय वर्ष के अन्दर प्रस्तुत नहीं किया गया तो आपका यात्रा देयक का भुगतान नहीं किया जावेगा ।

भ व दी य धिरिं (डॉ.सुनील दुधाले) प्रभारी निदेशक शारीरिक शिक्षा इन्दौर,दिनांक—20.01.2020

पृक्रक्रीडा-एक। 31 1/2019-20 प्रतिलिपि:-

 प्राचार्य, महाराजा रणजीत सिंह महाविधालय, इन्दौर की और इस निवेदन के साथ अग्रेषित है कि डॉ.प्रदीप पुरे, सहायक प्राध्यापक, को आवश्यक अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान करें।

2. श्री सी.बी.होलकर,क्रीड़ा अधिकारी,गुजराती वाणिज्य महाविघालय,इन्दौर दल प्रशिक्षक विश्वविद्यालयीन पाँवर लिफ्टिंग(महिला) दल सत्र—2019

-20 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित

उप निदेशक शारीरिक वि

---00---

द्यागोरा / —



DEVI AHILYA UNIVERSITY, INDORE

Directorate of Physical Education & Sports, Sports Complex, Takshila Campus, Khandwa road, Indore – 452 017

Spt.I(32)/2019-2020

Indore Dated 20.01.2020

To,
Dr. Sakeer Hyssain V.P.
& Organizing Secretary
All India I/U Power Lifting (Women) Championship 2018-2019,
University of Calicut,
Calicut

Sir.

I am pleased to introduce Dr. Pradeep Pure, Asst. Professor, Maharaja Ranjit Singh College, Indore and Shri C.B.Holker, Sports Officer, PMB Gujarati Commerce, College, Indore who are accompanying the team as Manager and Coach respectively. Ku. Pragati Sadaphule student of Shri Yashwant Singh College, Indore will be the captain the team. The eligibility list of players is sent herewith in triplicate as required under rules.

Wish you all success in conducting the tournament.

-0-

Yours faithfully,

(Dr. Sunil Dudhle) Incharge Director of Physical Education

Encl. : As above.

Phones: 0731-2469482, 2363383 Fax: 0731-2363383 Email: dpe.dauniv@gmail.com



session 2018-19

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भयन, इन्दौर - 452 001

कमांक/शेषा./1/विद्या परिषद //2018/722

Farin 1 3 APR 2018

विषय :-		म.प्र. विश्वविद्या अन्तर्गत विद्या प	/ / ज्ञा लय अधि परिषद्	प // वेनियम -1973 की घा का गठन :	रा 25 (1) के	
(एक) 1		कुलुपति		डाँ. नरेन्द्र कुमार धाक कुलपति, देवी अहिल्या विश्वविद्य		अध्यक्ष,
(दो) 2	2.	कुलाधिसचिव	9	पदेन		सदस्य
(तीन) ३	3.	डॉ. के.एन. चतु क्षेत्रीय अतिरिक्त उच्च शिक्षा विग	त संवाद	तक, प्र. शासन, इन्दौर		सदस्य
(चार) <i>(</i> (पांच) :	<u>4.</u>	अध्यक्ष, मध्यप्रदे माध्यमिक शिक्षा समी संकायों व	ा मण्डल			सदस्य
	1.	पदेन संकायाध्यक्ष— व देवी अहिल्या वि	कला संव	काय,		सदस्य
	2.	डॉ. श्रीमती रेख संकायाध्यक्ष- देवी अहिल्या वि	रागाज रि	विज्ञान, अर्थशास्त्र अध्य	यन शाला	सदस्य
	3	पदेन संकायाध्यक्ष- देवी अहिल्या वि	विज्ञान विश्वविद्	संकाय. प्रालय, इन्दौर		सदस्य
	4	पदेन संकायाध्यक्ष, ग् देवी अहिल्या वि	हि विद्या	ान		सदस्य
	5.	पदेन संकायाध्यक्ष— देवी अहिल्या वि	यांत्रिकी विश्वविद्	संकाय, प्रालय, इन्दौर.		सदस्य
	6	पदेन संकायाध्यक्ष— देवी अहिल्या	प्रबंधकी विश्वविह	य संकाय. यालय, इन्दौर.		सदस्य
	7	पदेन संकायाध्यक्ष— देवी अहिल्या	शिक्षा र विश्वविद	संकाय, द्यालय, इन्दौर.		सदस्य
	8	पदेन संकायाच्यक्ष— देवी अहिल्या				सदस्य
- 1					100	6.C.A

Personal file



18	डाँ० वी.बी. गुप्ता डाटा साइंस अध्ययनशाला,	सदस्य
19	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर. डॉo आनन्द सप्रे,	सदस्य
20	निदेशक आय.आय.पी.एस., देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर. डॉंध रत्नेश गुप्ता इसंदुमेन्टेशन अध्ययन शाला. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर.	सदस्य
21	डॉo एस.पी. सिंह उर्जा एवं पर्यावरण अध्ययनशाला,	सदस्य
22	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर. डॉo∡संजीय टोकेंकर आई.ई.टी. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर.	सदस्य
23	डॉ० मनीष सितलानी, विधि अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर.	सदस्य
24	डॉo रेखा आचार्य, समाज विज्ञान अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर	सदस्य
25	डॉo प्रीति सिंह, वाणिज्य अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर	सदस्य


(आठ) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय के पाँच प्राचार्य, जो कुलपति द्वारा नाम— निर्दिष्ट हो, जिनमें यथा संभव कम—से—कम दो महिला, प्राचार्य होगी:—

महाविद्यालयीन प्राचार्यः

	महाराजा रणजीतसिंह कॉलेज, इन्दौर	सदस्य
	2 डॉ. किरण दम्मानी, गुजराती बी.एड. कॉलेज, इन्दौर	सदस्य
	3 डॉ. योगेश्वरी फाटक, प्रेस्टिज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इन्दौर	सदस्य
	4 डॉ. कुसुमलता निगवाल, शास. महारानी लक्ष्मीबाई कन्या महा. इन्दौर	, सदस्य
	5 डॉ. बी.एल बिलवे, शास. महाविद्यालय, मण्डलेश्वर	सदस्य
9	(नो)विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय के दो : कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट हो :	आचार्य, जो

1 डॉ. निर्मल पगारिया, शास. नवीन विधि महाविद्यालय, इन्दौर 2 डॉ. राजेन्द्र जैन, पी.एम.बी. गुजराती वाणिज्य महा, इन्दौर





कस्त्रबाग्राम रूरल इंस्टीट्यूट,कस्त्रवाग्राम,इंदौर (स्वशाशी आबाशीय कन्या महाविद्यालय देनी अहिल्या विति इदीर से सबद कमांकः /क क ई / 2017-18/684 प्री दा

प्रति, डॉ / श्री / श्रीमती / सुश्री पुरुप न्य द्व महाराष्ट्रा २०१मी विकेश ने

विषय-करतूरबाग्राम रूरल इन्स्टीट्युट की गामी लिला< स्वीर्जा पर विषय परिषद / पाड्यक्रम संगिति में ननानधन हतु सुबन एवं स्वीकृति बार्बत्। अन् हि

महोद्यं/ महोद्या,

हर्ष के साथ आयको स्केर किया जाम है कि किया प्राप्त अपन के अनुसार आपको दिलाक 30/08/2017 = 12 जा के अवधे के लिए जल्द की अध्ययन परिषद / पाष्ट्रयक्षम नाने ने न तद्या के नित्र में निर्म किया गया है।

क्रमया अपनी स्वोक्ति प्रदान कर अनुगतिन नर।

The state of the s

CHARLES THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PA

माध्याय व

संलान :- 1 कुलपात दे आ वि वि पर प्रमा श्रीद्यापरिषद सं अनुमादित स्व ् 3 स्वोक्ति पत्र

प्रतिलिपि प्राचाय कस्तूरयाग्राम करल इंस्टीट्यूट जी एन एक करत्रबाग्राम



विश्वविधालय भवन. इन्होर - ४५४ ००१

क. शेक्षणिक / एक / जीवन विद्यान अ.म. / 2018 / 1195

1 9 JUN 2018

//अधिस्चना//

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम -1973 की धारा 28 की अपधारा (2) (4) के अनुसार जीवन विज्ञान संकाय के अन्तर्गत जीवन विज्ञान अध्ययन मण्डल का गढन अधिसूचना दिनांक से तीन वर्ष के लिये निम्नानुसार किया जाता है :-

- 28 (2)(एक) उन विषयों के जिनके लिये कि बोर्ड का गडन किया गया हो। विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्यापन केन्द्रों के आचार्य।
 - । डॉ० स्रेश चॉद प्राध्यापक, जीवन विद्यान अधा, ये अ वि वि इन्दौर
 - 2 डॉ॰ जी.पी. पाण्डेय, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, जीवन विद्यान अ.शा. दे.अ.वि.वि., इन्होर
 - 3 डॉo आनन्द कर, प्राध्यापक, जीवन विज्ञान अ.शा., दे.अ.वि.वि. इन्दोर
 - 4 डॉ० के हलेला, प्राध्यापक, जीवन विज्ञान अ.शा., दे अ.वि.चि., इन्दौर
 - 5 डॉ० अंजना जाजू प्राध्यामक जीवन विज्ञान अ शा. दे अ वि.वि. इन्होर
- 28 (2)(दो) महाविद्यालयों के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष जो स्नातकोत्तर स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हों जो कुलपति द्वारा ज्येष्ट्रता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जायेंगे।
 - डॉ0 मीनिका जैन, प्राध्यापक एवं रनातकोत्तर विभागाध्यक्ष, जीवन विझान, महाराजा रणजीत सिंह कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल साइंस, इन्दौर
 - 2 डॉ0 अनिता दुवे, सहायक प्राध्यापक एवं स्नातकोत्तर विभागध्यक्ष, एमची खालसा महाविद्यालय, इन्दौर
- 28 (2)(तीन) विश्वद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा अध्ययन केन्द्रों में से एक उपायार्थ जो उक्त विषयों का अध्यापन करता हो, जो बुलपति द्वारा जयेष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किया जायेगा।
 - । रिवत
- 28 (2)(चार) महाविद्यालयों के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष जो उपाधि (स्नातक) स्तर तक उक्त विषयों का अध्ययन करते हों, जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जायेंगे ।
 - । रिवत
 - 2 रिवत

35/118



विश्वविद्यालय गवन, इन्दौर - 452 001

क शैक्षणिक / एक / भौतिकशास्त्र अ.म. / 2018/21419

1 6 OCT 2018

//अधिसूचना//

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम —1973 की धारा 28 की उपधारा (2) (4) के अनुसार विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिकशास्त्र अध्ययन मण्डल का गठन अधिसूचना दिनांक से तीन वर्ष के लिये निम्नानुसार किया जाता है —

- 28 (2)(एक) उन विषयों के जिनके लिये कि बोर्ड का गठन किया गया हो. विश्वविद्यालयीन अध्यापन विमागों तथा प्राध्यापन केन्द्रों के आवार्य ।
 - वं उत्तर्भ क्षित्रा, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, भौतिकी अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर
 - 2 डॉ० प्रतिमा सेन, प्राध्यापक, भौतिकी अध्ययनशाला, दे आ वि वि इन्दौर
 - 3 डॉ० जी. मिश्रा, प्राध्यापक, भौतिकी अध्ययनशाला, दे अ वि वि इन्दौर
 - 4 डॉ0 एम. बैनजी, प्राध्यापक, भौतिकी अध्ययनशाला, दे अ वि वि इन्दौर
 - 5 डॉ० एस.एन. काने, प्राध्यापक, भौतिको अध्ययनशाला, दे.अ.पि.वि.इन्दोर
 - 6 डॉ0 वाय चौयल, प्राध्यापक, भौतिकी अध्ययनशाला, दे.अ.वि.वि.इन्दौर
- 28 (2)(दो) महाविद्यालयों के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष जो स्नातकोत्तर स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हो जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जायेगे।
 - शास. एस.एन. पी.जी. महाविद्यालय, खण्डवा
 - 2 डॉ0 प्रवीण ए. केकरे. प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, गौतिकशास्त्र, पीएग बी गुजराती विज्ञान महाविद्यालय इन्दौर
- 28 (2)(तीन) विश्वविद्यालयीन अध्यापने विभागों तथा अध्ययन केन्द्रों में से एक उपाचार्य जो उक्त विषयों का अध्यापन करता हो, जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किया जायेगा।
 - 1 रिक्त
- 28 (2)(चार) महाविद्यालयों के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष जो उपाधि (श्नातक) स्तर तक उक्त विषयों का अध्ययन करते हों, जो कुलपति द्वारा ज्येष्टता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जायेगे।
 - 1 प्रो0 संजय साठे, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, भौतिकशास्त्र, शहीद भीमानायक शास, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बडवानी 2 महिमा जैन, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, भौतिकशास्त्र,



panetare and trul

क महावाक / एक / माईकोबावोबी जा म / २०१७/1345

Danie y JUL 2018

//अधिश्चना//

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिविद्या - १९७३ की धारा 28 की उपकर्त (हो (हो व अनुसार जीवन विज्ञान संवाय के तानार्गत माईकोबाबोआजी अध्यय मण्डल का गढन अधिसूमना दिनाक से तीन वर्ष के लिये निमानुसार किया जाता है

- 28 (2)(एक) उन विषयों के जिनके लिये कि बीर्ड की मनन निस्ता गरा है। विश्वविद्यालयींन अध्यापन विकास संख्या साध्यापन करते हैं जातास र
 - । द्या सरेश चाँद प्राध्यापक कीवन किलान अशा. हा मानि इन्हों
 - 2 डरें। जी.पी. पाण्डेय, प्राध्यापक एवं विभागस्थात, जीवन विस्तान ग्र.णा. दे अति वि. इन्दौर
 - अ रहीं आनन्द कर, प्राध्यापक, जीवन विद्याल अ.श. . रे.स.च्या
 - । और के एजेला, प्राध्यापक जीवन विद्यास अध्या के प्रति के लग
 - s sto armen and, uncorner, after figure a sufficial receives
- 28 (2)(दो) महाविद्यालयो के महाविद्यालयोग विभागों के यो विभागकण्य को स्वातकोत्सर स्वर तक उक्त विषयों का अध्यापन करत हो को व्यवस्थित होंगे के उपलिश्व होंगे के अभुसार बारी-बारी से नाग निर्देशित किया नाग में
 - । और शक्य त्यास, प्राध्यापक एवं स्वातकात्तर विभागात्वर। भाईकोबायोसीजी, शास उक्ष हो स्कर विद्याग महाविध्यालय उन्हों र
 - ्र अंठ मूर्पेन्द्र भार्गव, स्नातकोत्तर विभागाध्यक्ष, माईकोपाक्षका, की रक्ष गुर्जर थाल निकेशन महाविधालय, सनावत
- 28 (१)(तीन) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागी तथा आयाग संन्यों में ले ले. उपाधार्य जो उक्त विषयों का आयापन करता हो, जा महुतागीत है ले जयेष्टता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किया जिया जिया।
 - । रियत
- 28 (2)(चार) महाविद्यालयों के महाविद्यालयोग विभागी के ने विभागतालय जो जाने (स्वालक) स्तर तक उन्त विषयों का अध्ययन करने हो, का कुनामी तारा कोष्ठता के अनुसार बारी-वारी से साम निर्देशित किन जाने ।
 - ५ रिक्टा
 - 2 रिवत

28 (2) (पाँच)राता विषयो वो अधिक से अधिक दो अध्यातक जो कहानीय नाम सम िदेशित किये जायेमे ।

डॉट टी. बैनजी, व्याख्याता. जीवन विज्ञान आव्यानाभागा. एकी पोवनभा विश्वविद्यालयं इन्दौर

काँव मुक्केश वासीसार, सहार प्राध्यामक, व्यादकोत्रावासी कार्या महाराजा एक स्थाप सिंह कालंडा जाफ प्राफ्तशाल साइस, इत्राप

28 (2) (छ:)कुलपति द्वारा नियुक्त एक विद्यार्थी जो परिनियम में अभिकांश्वत जहांताय राखना हो ।

28 (2) (सास) बोर्ड द्वारा सहयोजित दो सदस्य :

कुलपति द्वारा डॉ० के. हजेला, प्राध्यामक, जीतरा विद्वान ग्रामा, के विद्वान इन्दोर को धारा 28 (३) एवं 28 (३) के तहत उद्धरणन मण्डेन की गान्स मनोनीत किया गया है।

> the first at all the Date Car er occupia

क शेक्षणिका/एक/भाईकोबायोलॉकी अ.म./२०१३/१३५ ८ विभाग- 🖁 अ.। 2018 ध्रतिलिपि -

अध्ययन गण्डल के सगस्त सदस्यगण जप-कृलसचिव (परीक्षा/गोपनीय/धशासन) सहा-क्लसकिव (परीक्षा/ गोपनीग/प्रशासन) । हेल आईला । विकास क्लपतिजी के सचिव

कुलसचिवजी के निज सहाथक की और सूचनार्थ ।

1448

N. K. Sharma /Board Adhieuchana /2018



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन. इन्दौर - 452 001

क. शेक्षणिक/एक/बायोर्टक्नालॉजी अ.म./2019 9069

दिनांक

曆17 JUN 2019

// अधिसूचना//

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा 28 की उपधारा (2)(4) के अनुसार जीवन विज्ञान संकाय के अन्तर्गत बायोटेक्नालों जी अध्ययन गण्डल का गठन अधिसूचना दिनांक से तीन वर्ष के लिये निम्नानुसार किया जाता है :-

- 28 (2)(एक) उन विषयों के जिनके लिये कि बोर्ड का गठन किया गया हो. विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्यापन केन्द्रों के आचार्य।
 - 1 डॉ0 अंजना जाजू, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, बायोटेक्नालॉजी, बायोटेक्नालॉजी V अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर
- 28 (2)(दो) महाविद्यालयों के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष जो रनातकोत्तर स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हों जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जायेंगे ।
 - पो0 नवीन जोशी, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, श्री जयंतीलाल संघवी गुजराती इनोवेटिव कॉलेज ऑफ कॉमर्स एण्ड साईन्स, इन्दौर डॉ० प्रमोद कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, किश्चियन एमिनेंट एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट, प्रोफेशनल एज्युकेशन एण्ड रिसर्च, इन्दौर
- 28 (2)(तीन) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा अध्ययन केन्द्रों में से एक उपाचार्य जो उक्त विषयों का अध्यापन करता हो, जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किया जायेगा।
 - 1 रिवत
- 28 (2)(चार) महाविद्यालयों के महाविद्यालयीन विमागों के दो विभागाध्यक्ष जो उपाधि (स्नातक) स्तर तक उक्त विषयों का अध्ययन करते हों, जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जायेंगे।
 - ्र डॉ० प्रिती व्यास, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, बायोटेक्नॉलाजी पी.एम.बी. गुजराती साइंस कॉलेज, इन्दौर
 - 2 सुश्री स्मिता चौद्यरी, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, श्री कॅवरतारा साइंस एण्ड कॉमर्स महाविद्यालय, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन



28 (2) (पाँच) उक्त विषयों के अधिक से अधिक दो अध्यापक जो कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे ।

अंठ मुकेश पाटीदार, सहायक प्राध्यापक, बायोटेक्नालॉजी, महाराजा । रणजीतसिंह कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल साइंसेस, खण्डवा रोड, इन्दौर डॉ० श्रीमती विधि तिवारी, सहायक प्राध्यापक, बायोटेक्नालॉजी, किश्चियन एमिनेन्ट एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट, प्रोफेशनल एज्युकेशन एण्ड रिसर्च, इन्दौर

28 (2) (छः)कुलपति द्वारा नियुक्त एक विद्यार्थी जो परिनियम में अभिकथित अर्हतार्थे रखता हों ।

28 (2) (सात) बोर्ड द्वारा सहयोजित दो सदस्य :

2/ कुलपित द्वारा डाँ० अंजना जाजू, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, बायोटेक्नालाँजी अध्ययन शाला देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर को धारा 28 (2) (एक) एवं 28 (2) (तीन) के तहत् अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है ।

> कुलपतिजी के आदेशानुसार कुलसचिव

कं.शैक्षणिक/एक/गायोटेन्नालॉजी अम./2019/2069 दिनांक प्रतिलिपि -

廳17 JUN 2019

1 अध्ययन मण्डल के समस्त सदस्यगण

उप—कुलंसचिव (परीक्षा/गोमनीय/प्रशासन/ पी.एच.डी. सेल)

3 सहा-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय/प्रशासन)

4 कुलपतिजी के सचिव

5 कुलसचिवजी के निज सहायक की ओर सूचनार्थ

देवी अहिल्या वि.वि.इन्दौर

अप-कुलसम्बद्ध (शंक्ष.)

N.K. Sharma Board Adhiruchana . /2019



DEVI AHILYA UNIVERSITY, INDORE

Directorate of Physical Education & Sports. Sports Complex, Takshila Campus, Khandwa road, Indore – 452 017 Indore, Dated 17.09.2018

No.Spt.VIII(3)/2018-2019
To,
Dr. Nilesh Mandloi,
Sports Officer,
MRS College,
Indore

Subject: - Appointment of Selection Committee.

Sir/Madam,

I am directed to say that the selection committee to select the University Kabaddi (Men) team has been constituted of the following members: -

(i) Chairman Dr. Nilesh Mandloi, Sports Officer, MRS College, Indore.
 (iii) Member Shri R.K.Kaurv, Sports Officer, Govt. College, Sanwer.
 (iii) Member Dr. Raghav Jaiswal, Sports Officer, ILVA College, Indore.
 (iv) Ex. Officio Director, Physical Education, DAVV., Indore.

(v) Convenor Principal or his nominee, Govt. P.G. College, Jhabua.

- 2/ The game is allocated to Govt. P.G. College, Jhabua...
- 3/ The tournament will be held as per Govt. calendar /Inter collegiate sports calendar dates.
- 4/ A copy of the constitution, Powers & Duties of Selection Committee to select University Sports Teams is enclosed.
- The TA/DA, Local conveyance allowance and Honorarium will be paid by the Organizing College on behalf of the University.
- 6/ It is expected that selection committee member should send their consent to the undersigned at the earliest. Kindly also see that if your blood relation member is participating in the tournament / trails of this game than kindly inform well in advance, so substitute arrangement of selection committee member is done in due time.
- 7/ A selection committee member will be required to inform undersigned well in advance if he /she wishes to use his own vehicle to go out of H.Q. to execute the work so that prior permission is obtained for the payment of T.A bill.

Encl: - as above

Yours faithfully,

(Dr. Sunil Dudhale)

Director Incharge Physical Education of Sports.

& Secretary, Ex. Board Sports.

session 2018-19

DEVIAHILYA UNIVERSITY, INDORE

Spt. VIII (4)/2018-2021

Indore Date: 21.08.18

-: Revised Memorandum:-

Kulpatiji has nominated the following Members under the statute no. 37 Sports Committee.

Statute no. 37-1(III)

- 1. Dr. (Mrs) S. Vaskel, Principal, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Indore.
- 2. Dr. Anil Kapadia, Principal, Seva Sadan College, Burhanpur.
- 3. Dr. Ashok Kumar Sharma, Prof. & Head, School of Chemistry, DAVV., Indore.
- 4. Dr. Sanjay Tanwani, Prof. & Head, Sch. of Computer Sci. & IT, DAVV., Indore.
- 5. Dr. Deepak Mehta, Porf. & Head School of Physical Education, DAVV., Indore.

Statute no. 37-1(IV)

- 1. Dr. S.L. Dewra, Prof. Govt. PG College, Alirajpur.
- 2. Dr. Usha Jain, Prof. ABV Got. Arts & Commerce College, Indore.
- 3. Prof. Rafi Mohd. Shaikh, Asst. Prof., PMB Guj. Commerce College, Indore.
- 4. Dr. Preeti Singh, Asso. Porf. & Head School of Commerce, DAVV, Indore.

Statute no. 37-1(VII)

- 1. Dr. Mahendra Kumar Mishra, Sports Officer, Govt. PG College, Manawar.
 2. Dr.Nilesh Mandloi, Sports Officer, Maharaja Ranject Singh College, Indore.
- 2/ The term of members under item 1(III, IV & VII) shall be three years. A copy of the new statute No. 37 Sports Committee is enclosed for perusal of the members.

(Dr.Sunil Dudhale)

for Registrar

Incharge Director of Physical Education

Indore Date: 21-08-18

Enc. As above Endt. Spt. VIII(4)/2018-2021/

C.C. to,

All members Sports Committee Devi Ahilya University, Indore.

2. Principal/Dean/Director/Chairman/Head All College/Institute/Department/ UTD, Sports Association, Devi Ahilya University, Indore.

3. Sports Officer, All College, Devi Ahilya University, Indore.

4. All Officer, Devi Ahilya University, Indore.

5. Incharge I.T Center for uploading on website.

(Incharge Director Physical Education)



30550m

2018-74

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन, इन्दौर — 452 001



- Haller

क शैदाणिकः/एक/इलेकड्रानिक्स अ.म./2015/09/10

Бент № 9 NOV 2016

//अधिर्;वना//

मध्यप्रदेश विश्विमिद्यालय अधिवियम -: 973 की धारा 28 की लगधारा (2) (4) के अनुसार इंजीनियरिंग साइंस संकाय के अन्तर्गत इलेक्ट्राविक्स अध्ययन मण्डल का भटन अधिसूचना विनांक से तीन वर्ष के लिये निम्नानुसार किया जाता है :--

28 (2)(एक) उन विषयों के जिनके लिये कि बोर्ड का गठन किया गया हो. विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्यापन केन्द्रों के आचार्य।

विश्वविद्यालय, इन्दौर

2 डॉ० अगय कुमार, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, इलेवद्वानिवस अध्ययगणाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

- 28 (ह)(द) महाविद्यालयों के नहाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष जो स्मातकोस्तर स्तर तक उक्त विषयों का अध्यापन करते हों जो कुलपित द्वारा ज्येष्ठला के अनुसार बारी-बान से नाम निर्देशित किये जायेंगे ।
 - 1 रिक्त
 - 2 जिल्ल
- 28 (2)(तीन) विश्वविधालयीन अध्यापन विभागी तथा अध्ययन केन्द्री में से एक उपाचार्य जो उक्त विषयों का अध्यापन करता हो, जो कुलपाँत हारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किया जायेगा।
 - 1 रिचल
 - 2 रिवत
- 28 (2)(चार) महाविद्यालयों के महाविद्याल है। विभाग के दो विभागक्ष्यक जो उपाधि (स्नातक) स्तर तक उपत विषयों का अध्यक्षन करते हो, जो कुलपति द्वारा जये उता के अनुसार बारी-वारी से नाम निर्देशित किये जारों में
 - 1 डॉ० विगल शर्मा, सहा, प्राध्यापक एक स्वातक विभागाध्यक्ष, इलेक्ट्रानिक्स ए.म.न. गुजराती विज्ञान गराविकाल इन्द्रीर
 - 2 भी प्रदीप पुरे, राहा, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, इलेक्ट्रानिक्स, महाराजा। रणजीत सिंह महाविद्यालय इन्होर





2017-18

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन. इन्दौर – 452 001

कमांक/शैक्ष./1/विद्या परिषद /2018/722

13 APR 2018

		1900
विषय :	/ ज्ञाप / म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम —1973 की घारा 25 (1) के अन्तर्गत विद्या परिषद् का गठन :—	
<u>(एक)</u> 1.	कुलुपति डॉ. नरेन्द्र कुमार घाकड़ कुलपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर	अध्यक्ष,
<u>(दो)</u> 2.	कुलाधिसचिव पदेन	सदस्य
<u>(तीन) 3.</u>	खाँ. के.एन. चतुर्वेदीं, क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विमाग, म.प्र. शासन, इन्दौर	सदस्य
(चार) 4. (पांच) 5.	अध्यक्ष, मध्यप्रदेश, माध्यमिक शिक्षा मण्डल सभी संकायों के संकायाध्यक्ष :—	सदस्य
1.	पदेन संकायाध्यक्ष— कला संकाय, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर	सदस्य
2.	डॉ. श्रीमती रेखा आचार्य संकायाध्यक्ष- रागाज विज्ञान, अर्थशास्त्र अध्ययन शाला देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर	सदस्य
3	पदेन संकायाध्यक्ष— विज्ञान संकाय, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर	सदस्य
4	पदेन संकायाध्यक्ष, गृह विज्ञान देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर	सदस्य
5.	पर्दन संकायाध्यक्ष— यांत्रिकी संकाय, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर.	सदस्य
6	पदेन	सदस्य
7	पदेन संकायाध्यक्ष— शिक्षा संकाय, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर.	सदस्य
8	पदेन संकायाध्यक्ष— विधि संकाय, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्टीर	सदस्य

Porsonal file
Porsonal file
Principle
Principle



18	.डॉ० वी.बी. गुप्सा	सदस्य
	डाटा साइंस अध्ययनशाला.	
40	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर.	सदस्य
19	डॉo आनन्द सप्रे, निदेशक आय.आय.पी.एस.,	nasa
	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर.	
20	डॉ० रत्नेश गुप्ता	सदस्य
1/17/70	इस्टूमेन्टेशन अध्ययन शाला,	
	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर.	
21	डॉ० एस.पी. सिंह	सदस्य
	उर्जा एवं पर्यावरण अध्ययनशाला,	
22	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर. डॉo∡संजीव टोकेकर	सदस्य
55	आई.ई.टी. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर.	
23	डाॅ0 मनीष सितलानी,	सदस्य
- 177.1731	विधि अध्ययनशाला,	The state of the s
	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर.	
24	डॉ० रेखा आचार्य.	सदस्य
	समाज विज्ञान अध्ययनशाला.	NUMBER OF STREET
	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर	
25	डॉ० प्रीति सिंह.	सदस्य
	वाणिज्य अध्ययनशाला,	
	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर	

(आठ) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय के पाँच प्राचार्य, जो कुलपति द्वारा नाम— निर्दिष्ट हो, जिनमें यथा संभव कम—से—कम दो महिला प्राचार्य होगी :—

महाविद्यालयीन प्राचार्य :--

	TOTAL STATE STATE	
	श्रां आनन्द निघोजकर, महाराजा रणजीतसिंह कॉलेज, इन्दौर 2 डॉ. किरण दम्मानी; गुजराती बी.एड. कॉलेज, इन्दौर	सदस्य सदस्य
	3 डॉ. योगेश्वरी फाटक, प्रेस्टिज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इन्दौर	सदस्य
	4 डॉ. कुसुमलता निगवाल, शास. महारानी लक्ष्मीबाई कन्या महा. इन्दौर	सदस्य
	5 डॉ. बी.एल बिलवे. शास. महाविद्यालय, मण्डलेश्वर	सदस्य
9	(नो)विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय के दो आचार्य, कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट हो :-	जो
10		
	1 डॉ. निर्मल पंगारिया, शास. नवीन विधि महाविद्यालय, इन्दौर	सदस्य
	थाँ. राजेन्द्र जैन. पी.एम.बी. गुजराती वाणिज्य महा. इन्दौर	सदस्य





CHRISTIAN EMINENT COLLEGE

(Academy of Management, Professional Education & Research) H.I.G., Ravi Shankar Shukla Nagar Main Road, Indore (M.P.) - 452011

E-mail director@christianeminent.com

christianeminent96@gmail.com

www.christianeminent.com

Tel: (0731) 2554175, 2555610 Fax (0731) 2556215

NAAC (UGC) Accredited with 'A' Grade . Recognized by Govt. of M.P. - Affiliated to Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indone An Autonomous Institution Established in 1996 • Approved by NCTE • Approved Programmes Study Centre of IGNOU

Date: 27/07/2016

Ref. No.: CEA/AUTO/BOS/7433

माननीय डा. आनंद निगोजकर साहेब प्राचार्य. रणजीत सिंह महाविद्यालय, इन्दौर

विषयः क्रिश्चियन एमिनेट महाविद्यालय, इन्दौर की बायोविज्ञान की बोर्ड ऑफ स्टडीज में प्रतिनिधि मनोनित होने बाबद ।

महोदय,

आपको सूचित करते हुए अत्यन्त हर्ष है कि क्रिश्चियन एमिनेन्ट महाविद्यालय, इन्दौर को यू.जी.सी., नई दिल्ली एवं तत्पश्चात देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर द्वारा ऑटोनामस महाविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है । विगत छः वर्षों में महाविद्यालय द्वारा ऑटोनामस महाविद्यालय के अन्तर्गत संचालित होने वाले समस्त कार्य पूर्ण दक्षता एवं विश्वसनीयता के साथ राफलतापूर्वक यथारामय पूर्ण किये गये । विगत बोर्ड ऑफ स्टडीज का कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात हमारे महाविद्यालय में वायोसाइस की बोर्ड ऑफ स्टडीज का पुनः निर्धारण आगामी दो वर्षो के तिये किया जा रहा है । महाविद्यालय की एकेडेमिक काउदिसल द्वारा आपका मनोनयन बायोसाइंस की बोर्ड ऑफ स्टडीज में सदस्य के रूप में पुनः किया गया है । हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके सहयोग एवं मार्गदर्शन से क्रिश्चियन एमिनेन्ट महाविद्यालय को अपनी सफलता एवं उन्नित के नये आयाम प्राप्त करने में सहायता मिलेगी । आपके सहयोग के लिये हार्दिक धन्यवाद।

सादर,



seffior 2017-18



CHRISTIAN EMINENT COLLEGE

(Academy of Management, Professional Education & Research) H.I.G., Ravi Shankar Shukla Nagar Main Road, Indore (M.P.) - 452011

E-mail director@christianeminent.com.

christianeminent96@gmail.com

Tel. (0731) 2554175, 2555610 Fax: (0731) 2556215

NAAC (UGC) Accredited with 'A' Grade - Recognized by Govt. of M.P. . Affiliated to Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore An Autonomous Institution Established in 1996 • Approved by NCTE . Approved Programmes Study Centre of IGNOU

Ref. No.: CEA/AUTO/BOS/7433

प्रति

माननीय डा. पुष्पेन्द्र दुवे, विभागाध्यक्ष एवं प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, महाराजा रणजीत सिंह महाविद्यालय, इन्दीर

विषयः क्रिश्चियन एमिनेंट महाविद्यालय, इन्दौर की आधारभूत पाठ्यक्रम की बोई ऑफ स्टडीज में प्रतिनिधि मनोनित होने बाबद ।

महोदय,

आपको सूचित करते हुए अत्यन्त हर्ष है कि क्रिश्चियन एमिनेन्ट महाविद्यालय, इन्दौर को यू.जी.सी., नई दिल्ली एवं तत्पश्चात देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर द्वारा ऑटोनामस महाविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है । विगत छः वर्षों में महाविद्यालय द्वारा ऑदोनामस महाविद्यालय के अन्तर्गत संचालित होने वाले समस्त कार्य पूर्ण दक्षता एवं विश्वसनीयता के साथ सफलतापूर्वक यथासमय पूर्ण किये गये । विगत बोर्ड ऑफ स्टडीन का कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात हमारे महाविद्यालय में आधारभूत पाठ्यक्रम की बोर्ड ऑफ स्टडीज का पुनः निर्धारण आगामी दो वर्षों के लिये किया जा रहा है । महाविद्यालय की एकेडेमिक काउन्सिल द्वारा आपका मनोनयन आधारभूत पाद्यक्रम की बोर्ड ऑफ स्टडीज में सदस्य के रूप में पुनः किया गया है । हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके सहयोग एवं मार्गदर्शन से क्रिश्चियन एमिनेन्ट महाविद्यालय को अपनी सफलता एवं उन्नित के नये आयाम प्राप्त करने में सहायता मिलेगी । आपके सहयोग के लिये हार्दिक धन्यवाद ।

सादर,



कस्तूरबाग्राम करल इंस्टीट्यूट,कस्तूरबाग्राम,इंदौर ्रवशासी आधारीय कन्या महाविद्यालय संप्री अहिल्या वि.वि.वंदरि से सवत। कसर्रवागांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट, कस्त्रवागाम, इंदौर Paris 29 09 2017 प्रति डॉ / श्री / श्रीमती / सुश्री पुणपेन्द्र हुस्य भकाराधां २०१मीत सिंह भटावियान्थ विषय:-कस्तुरबाग्राम करल इन्स्टीट्युट को शास्त्री निया< धार्या एवं स्वीकृति बार्बत्। विषा मडोद्यं / महोद्या, हुव के साथ आमको लुबिल किया जाता है कि विस्वविद्यालय परिनियम 38 के अनुसार अन्यको विस्तास 30/08/2017 स 02 वर्षी को अमिक के लिए संस्था को अध्यक्षेत्र में रेसद / पाद्रस्कान लिनीने से सम्बन्ध को नेप में सनीनीन किया लिसा है क्याया अपनी स्वीकृति प्रदान कर अनुगृहित करें। लड न्याय दे संलग्न :- । युलगति (व अ वि वि का पत्र) ्ट विद्यापरिषद सं अनुमंदित सुद्रि 3 स्थोकृति पत्र कस्तूरवागाम रूरल इंस्टीट्यूट प्रतिलिपि (स्यलानी तंत्रशान) । प्राचाया जी एन एक क्रस्तूरबाग्राम इन्दार - 452 020

2017-18

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय गवन grafte - 452 001

क शहाणिक / एक / जीवन विज्ञान व न / श्राम / 1195

1 9 JUN 2018

//अधिशुवना//

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम - 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) (4) के अनुसार जीवन विद्यान संकाय के अन्तर्गत जीवन विद्यान अध्ययन मण्डल का गढन अधिसूचना दिनांक से तीन वर्ष के लिये निस्तानुसार किया जाता है

28 (2)(एक) लग विषयों को जिनको लिये कि कोई का गतन किया गया हो. विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा पाष्यापन केन्द्रों के आनार्थ ।

- डों। सुरेश वाँद, प्राध्यापक, जीवन विज्ञान अ.शा., दे.अ.वि.वि., इन्दौर
- डॉ० जी.पी. पाण्डेय, प्राध्यामक एवं विभागाध्यक्ष, जीवन विद्यान अ था. दे अति वि. इन्दोर
- डॉ० आसन्द कर, प्राच्यापक, जीवन विद्यास आशा,, दे.अ.वि.वि. इंस्टॉर
- खाँ। को, वजीला, प्राध्यापक, जीवन विद्यान अ.शा., दे.अ.वि.वि., इन्दोर
- 5 डींग अलाना लाज, प्राध्यापमा जीवन विद्यान अशा. दे अवि.वि. इन्दीर
- 28 (2)(दो) महाविधालयों के महाविधालयीन विभागों के दो विभागाध्यदा जो स्नातकोत्तर स्तर तक जवत विषयों का अध्यापन करते हो जो कलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार वारी-वारी से नाम निदंशित किये जायेंगे।
 - डॉव मोनिका जैन, प्राध्यापक एवं स्मातकोत्तर विभागाध्यक्ष, जीवन विज्ञान, महाराज्य रणजीत सिंह कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल साइस, इन्दौर
 - डॉंठ अनिता दुवे, सहायक प्राध्यापक एवं स्नातकोत्तर विभागाध्यक्ष, एम.बी. खालसा महाविद्यालय, इन्दौर
- 28 (2)(तीन) विश्वद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा अध्ययन केन्द्रों में से एक उपाचार्य जो उवत विषयों का अध्यापन करता हो, जो कुलपत्ति सारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निदेशित किया जायेगा।
 - रिवत
- 28 (2)(चार) महाविद्यालयों के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाण्यवा जो सपाधि (स्नातक) रतर तक चवल विषयों का अध्ययन करते हों, जो व्यूलपि द्वारा जर्भेष्वता के अनुसार बारी-बारी से नाम निदेशित किये जारोंगे।
 - दिवल
 - रिवरा



DEVI AHILYA UNIVERSITY, INDORE

No.Spt.VIII(3)/2017-2018 4/3 Dr. Nilesh Mandloi. Sports Officer, MRS College. Indore

Directorate of Physical Education & Sports, Sports Complex, Takshila Campus, Khandwa road, Indore - 452 017 Indore, Dated 07.11.2017

Subject: - Appointment of Selection Committee.

Sir/Madam,

I am directed to say that the selection committee to select the University Kabaddi (Men) team has been constituted of the following members: -

- Shri D.P.Gupta 1, Gurunanak Colony, Near Lalbag, Indore. Chairman (i) Dr. Nilesh Mandloi, Sports Officer, MRS College, Indore. (iii) Member Dr. Raghav Jaiswal, Sports Officer, ILVA College, Indore. Member (111)
- Director, Physical Education, DAVV., Indore. Ex. Officio (iv)
- Principal or his nomince, Govt. P.G. College, Barwani. Convenor (v)
- The game is allocated to Giovit P.G. Callege, Baswani, 2/
- The tournament will be held as per Govt. calendar /Inter collegiate sports calendar dates. 3/
- A copy of the constitution, Powers & Duties of Selection Committee to select 4/ University Sports Teams is enclose ed.
- The TA/DA, Local conveyance allowance and Honorarium will be paid by the 5/ Organizing College on behalf of the University.
- It is expected that selection committee member should send their consent to the 61 undersigned at the earliest.
- A selection committee member will be required to inform undersigned well in advance if he /she wishes to use his own vehicle to go out of H.Q. to execute the work 71 so that prior permission is obtained for the payment of T.A bill.

Yours faithfully,

(Dr. Sunil Dudhale)

Durhale

Director Incharge Physical Educations. S.C.

Encl: - as above

gestion

DEVI AHILYA UNIVERSITY, INDORE

No.Spt.VIII(3)/2017-2018 /4// Dr. Nilesh Mandloi, Sports Officer, MRS College, Indore.

Directorate of Physical Education & Sports, Sports Complex, Takshila Campus, Khandwa road, Indore - 452 017 Indore, Dated \$6.11.2017

Subject: - Appointment of Selection Committee.

Sir/Madam,

I am directed to say that the selection committee to select the University Kabaddi (Women) team has been constituted of the following members: -

Dr. M.K.Mishra, Sports Officer, Govt. College, Manawar. (i) Chairman Dr. Nilesh Mandloi, Sports Officer, MRS College, Indore, Member Dr. Vidhya Chouhan, Sports Officer, Govt. College, Rau. Member (iii)

Director, Physical Education, DAVV., Indore, Ex. Officio (iv)

Principal or his nominee, MLB Govt. Girls P.G. College, Indore. Convenor (v)

The game is allocated to MLB Govt, Girls P.G. College, Indore. 21

The tournament will be held as per Govt. calendar /Inter collegiate sports calendar dates. 3/

A copy of the constitution, Powers & Duties of Selection Committee to select 41 University Sports Teams is enclose ed.

The TA/DA, Local conveyance allowance and Honorarium will be paid by the 5/ Organizing College on behalf of the University.

It is expected that selection committee member should send their consent to the 6/ undersigned at the earliest.

A selection committee member will be required to inform undersigned well in 71 advance if he /she wishes to use his own vehicle to go out of H.Q. to execute the work so that prior permission is obtained for the payment of T.A bill.

Encl: - as above

(Dr. Sunil Dudhale) Director Incharge Physical Education

Yoursyfaithfully many

& Secretary, Ex. Board Spice

Session

DEVI AHILYA UNIVERSITY, INDORE

No.Spt.VIII(3)/2017-2018 284 To.

Dr. Nilesh Mandloi, Sports Officer, Maharaja Ranjeet Singh College. Indore.

Directorate of Physical Education & Sports. Sports Complex, Takshila Campus, Khandwa road, Indore - 452 017 Indore, Dated 08.09.2017

Subject: - Appointment of Selection Committee.

Sir/Madam,

I am directed to say that the selection committee to select the University Volleyball (Women) team has been constituted of the following members: -

(i) Chairman Dr. S.K. Yadav, Professor, School of Physical Education, Indore. (ii) Member Shri Durgesh Thakur, Sports Officer, Shri Kanwar Tara Science &

Commerce, College, Mandleshwar.

(iii) Member Dr. Nilesh Mandloi, Sports Officer, Maharaja Ranjeet Singh College, Indore.

(iv) Ex. Officio Director, Physical Education, DAVV., Indore.

(y) Convenor Dr. Avinash Yadav, Sports Officer, St. Paul Institute of Prof. Studies, Indore.

- 2/ The game is allocated to St. Paul Institute of Prof. Studies, Indore.
- The tournament will be held as per Govt, calendar /Inter collegiate sports calendar dates. 3/
- A copy of the constitution, Powers & Duties of Selection Committee to select 41 University Sports Teams is enclose ed.
- The TA/DA, Local conveyance allo wance and Honorarium will be paid by the 5/ Organizing College on behalf of the University.
- It is expected that selection committee member should send their consent to the 6/ undersigned at the earliest.
- A selection committee member will be required to inform undersigned well in 71 advance if he /she wishes to use his own vehicle to go out of H.Q. to execute the work so that prior permission is obtained for the payment of T.A bill.

Encl: - as above

Yours faithfully, (Dr. Sunil Dudhale) Director Incharge Physical Educate & Secretary, Ex. Board Sport

DEVI AHILYA UNIVERSITY, INDORE

No.Spt.VIII(3)/2017-2018 285 Dr. Nilesh Mandloi, Sports Officer, Maharaja Ranjeet Singh College, Indore.

Directorate of Physical Education & Sports, Sports Complex, Takshila Campus, Khandwa road, Indore - 452 017 Indore, Dated 08.09.2017

Subject: - Appointment of Selection Committee.

Sir/Madam.

I am directed to say that the selection committee to select the University Yoga (men) team has been constituted of the following members: -

(i) Chairman Dr. S.S.Sharma, Head, School of Yoga, DAVV., Indore. (ii) Member Shri P.K.Shrivastav, Sports Officer, GACC., Indore.

(iii) Member Shri Suresh Patil, Sports Officer, Cl. Mkt. Professional Studies, Indore. (iv)

Ex. Officio Director, Physical Education, DAVV., Indore.

(v) Dr. Nilesh Mandloi, Sports Officer, Maharaja Ranject Singh College, Indore. Convenor

- 2/ The game is allocated to Maharaja Ranjeet Singh College, Indore.
- The tournament will be held as per Govt, calendar /Inter collegiate sports calendar dates. 3/
- A copy of the constitution, Powers & Duties of Selection Committee to select 4/ University Sports Teams is enclose ed.
- The TA/DA, Local conveyance allo wance and Honorarium will be paid by the 51 Organizing College on behalf of the University.
- It is expected that selection committee member should send their consent to the 6/ undersigned at the earliest.
- A selection committee member will be required to inform undersigned well in 71 advance if he /she wishes to use his own vehicle to go out of H.Q. to execute the work so that prior permission is obtained for the payment of T.A bill.

Encl: - as above



Yours faithfully,

(Dr. Sunil Dudhale) S.C Director Incharge Physical Editor & Secretary, Ex. Board Sports.

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

2017--18
Regardenera स्वम,
इन्दोर - 452 001



THE PROPERTY.

क शैक्षणिक/एक/इलेवड्रानिवस अ.म./2019/09/1.1.20

100 MOV 2016

session

//अधिरायना//

महराजरेश विश्वतिद्यालय अधिनियम -(973 की धारा 18 की उपधारा (2) (4) के अनुसार इंजीनियरिंग साईस संकाय के अन्तर्गत इंजेक्ट्रानिक्स अध्ययन मण्डल ला महान अधिशूचना दिनांक से तीन वर्ष के लिये निमानुसार किया जाता है :-

- 28 (2)(एक) उन विषयों के जिनके लिये कि बाई का गठन किया भया हो. विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्यापन केन्द्रों के आचार्य ।
 - वर्षे० सुगन्त कटियाल, आचार्य, इलेक्ट्रानिक्स अध्ययनशाला. देती अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर
 - 2 डॉ० अभय कुमार, आचार्य एवं विसामाध्यक्ष, इलेक्ट्रानिक्स अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर
- 28 (ह)(द) महाविद्यालयों के महाविद्यालयीन विभागों के दो विभागाहरूस जो रनातकोत्तर स्तर तक जक्त विषयों का अध्यापन करते हों जो कुलपति होरा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-यान से नाम निर्देशित किये जायेंगे ।
 - 1 रिक्त
 - इ सिवस
- 20 (2)(तीन) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागी तथा अध्ययन केन्द्री (1 २) एक उपाचार्य जो उक्त विषयों का अध्यापन करता हो, जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किया जायेगा ।
 - 1 रिवत
 - 2 रिवत
- 28 (2)(धार) महाविधालयों के महाविधाल कि क्षेत्रामां के यो विभागात्र्यक्ष जो लगाधि (स्नातक) स्तर तक उन्नत विश्वमां का अध्यक्षन करते हों, जो कुलभूति द्वारा ज्ये उत्ता के अनुसार बारी-बारी से जम निर्देशित किये जायेंगे ।
 - डॉ० विगल शर्गा, राहा, प्राध्यापक एक स्वाराक विभागारमध, इलेक्ट्रानिक्स ए.ग.न. दुक्तराही मितान स्टानिक्क+, इक्तें
 - 2 श्री प्रदीप पुरे, राहा प्राध्यापक एवं विधागाणक, इलेक्ट्रानिवस, महाराजा रणजीत सिंह महाविद्यालय, इन्दीर







CHRISTIAN EMINENT COLLEGE

(Academy of Management, Professional Education & Research) H.I.G., Ravi Shankar Shukla Nagar Main Road, Indore (M.P.) - 452011

E-mail director@christianeminent.com.

christianeminent96@gmail.com

www.christianeminent.com Tel (0731) 2554176, 2555610 Fax (0731) 2556215

NAAC (UGC) Accredited with 'A' Grade An Autonomous Institution Established in 1996 - Approved by NCTE

. Recognized by Govt. of M.P. . Affiliated to Devi Ahilya Vishmovidyalaya, Indone . Approved Programmes Study Centre of IGNICU

Ref. No.: CEA/AUTO/BOS/7433

Date: 27/07/2016


प्रति माननीय डा. आनंद निगोजकर साहेब प्राचार्य. रणजीत सिंह महाविद्यालय, इन्दौर

विषयः क्रिश्चियन एमिनेंट महाविद्यालय, इन्दौर की बायोविज्ञान की बोर्ड ऑफ स्टडींज में प्रतिनिधि मनोनित होने बाबद ।

महोदय.

आपको सूचित करते हुए अत्यन्त हर्ष है कि क्रिश्चियन एमिनेन्ट महाविद्यालय, इन्दौर को यू.जी.सी., नई दिल्ली एवं तत्पश्चात देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर द्वारा ऑटोनामस महाविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है । विगत छः वर्षो में महाविद्यालय द्वारा ऑटोनामस महाविद्यालय के अन्तर्गत संचालित होने वाले समस्त कार्य पूर्ण दक्षता एवं विश्वसनीयता के साथ सफलतापूर्वक यथासमय पूर्ण किये गये । विगत बोर्ड ऑफ रटडीज का कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात हमारे महाविद्यालय में बायोशाइंस की बोर्ड ऑफ स्टडीज का पुनः निर्धारण आगामी दो वर्षों के लिये किया जा रहा है । महाविद्यालय की एकेडेमिक काउन्सिल द्वारा आपका मनोनयन बायोसाइंस की बोर्ड ऑफ स्टडीज में सदस्य के रूप में पुनः किया गया है । हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके सहयोग एवं मार्गदर्शन से क्रिश्चियन एमिनेन्ट महाविद्यालय को अपनी सफलता एवं उन्नित के नये आयाम प्राप्त करने में सहायता मिलेगी । आपके सहयोग के लिये हार्दिक धन्यवाद।

सादर,





CHRISTIAN EMINENT COLLEGE

(Academy of Management, Professional Education & Research) H.I.G., Ravi Shankar Shukla Nagar Main Road, Indore (M.P.) - 452011

E-mail director@christianeminent.com.

christianeminent96@gmail.com

Tel. (0731) 2554175, 2555610

Fax (0731) 2556215

NAAC (UGC) Accredited with 'A' Grade An Autonomous Institution Established in 1996

Approved by NCTE:

Recognized by Govt. of M.P. - Affiliated to Devi Ahilya Vishwavidyolaya, Indore

. Approved Programmes Study Centre of IGNIOU

Ref. No.: CEA/AUTO/BOS/7433

Date: 27/07/2016

प्रति माननीय डा. पुष्पेन्द्र दुबे, विभागाध्यक्ष एवं प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, महाराजा रणजीत सिंह महाविद्यालय, इन्दोर

विषयः क्रिश्चियव एमिनेंट महाविद्यालय, इन्दौर की आधारभूत पाठ्यक्रम की बोर्ड ऑफ स्टडीज में प्रतिनिधि मनोनित होने बाबद ।

महोदय.

आपको सूचित करते हुए अत्यन्त हर्ष है कि क्रिश्चियन एमिनेन्ट महाविद्यालय, इन्दौर को यू.जी.सी., नई दिल्ली एवं तत्पश्चात देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर द्वारा ऑटोनामस महाविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है । विगत छः वर्षो में महाविद्यालय द्वारा ऑटोनामस महाविद्यालय के अन्तर्गत संचालित होने वाले समस्त कार्य पूर्ण दक्षता एवं विश्वसनीयता के साथ सफलतापूर्वक यथासमय पूर्ण किये गये । विगत बोर्ड ऑफ स्टडीज का कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात हमारे महाविद्यालय में आधारभूत पाठ्यक्रम की बोर्ड ऑफ स्टडीज का पुनः निर्धारण आगामी दो वर्षों के लिये किया जा रहा है । महाविद्यालय की एकेडेमिक काउन्सिल द्वारा आपका मनोनयन आधारभूत पाढ्यक्रम की बोर्ड ऑफ स्टडीज में सदस्य के रूप में पुनः किया गया है । हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके सहयोग एवं मार्गदर्शन से क्रिश्चियन एमिनेन्ट महाविद्यालय को अपनी सफलता एवं उन्नित के नये आयाम प्राप्त करने में सहायता मिलेगी । आपके सहयोग के लिये हार्दिक धन्यवाद ।

सादर.



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर



विश्वविद्यालय गतन, इन्दौर – 452 001

क शेक्षणिक/एक/इलेक्ट्रानिक्स अ.म./2019/2/12

18-11 E 9 NOV 2016

//अधिस्वना//

महस्रकृतेश विश्वतिद्यालय अधिनियम —: 973 की घररा 28 की उपधारा (2) (4) के अनुसार इंजीनियरिंग साइंस संकाय के अन्तर्गत इंजेक्ट्रानिक्स अध्ययन मण्डल का मध्न अधिराचना विनांक से तीन वर्ष के लिये निम्नानुसार किया जाता है :-

- 28 (2)(एक) उन विषयों के जिनके लिये कि बार्ड का गठन किया गया हो, विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों लथा प्राध्यापन केन्द्रों के आचार्य ।
 - 1 हाँ 0 सुमन्त कटियाल, आचार्य, इलेक्ट्रानिक्स अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर
 - 2 डॉ० अभय कुमार, आचार्य एवं विशामाध्यक्ष, इलेक्ट्रानिक्स अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर
- 28 (2)(दो) महाविद्यालयों के नहाविद्यालयीन विभागों के दो विभागध्यक्ष जो रनातकोत्तर स्तर तक जक्त विषयों का अध्यापन करते हों जो कुलपति तारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-का से नाम निर्देशित किये जायेंगे ।
 - । रिवत
 - ट रिवन
- 28 (2)(तीन) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा अध्ययन केन्द्रों में से एक उपाचार्य जो जनल विषयों का अध्यापन करता हो, जो कुलपति द्वारा ज्लेष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किया जायेगा।
 - 1 रिवत
 - 2 रिवत
- 28 (2)(चार) महाविद्यालयों के महाविद्याल ीन विभागों के दो विभागाध्यक्ष जो उपाधि (रनातक) स्तर तक उक्त विषयों का अध्यक्षन करते हों. जो कुलपति द्वारा ज्ये उता के अनुसार बारी-बारी से नाम निर्देशित किये जायेंगे।
 - 1 डॉ० विभल शर्मा, राहा, प्राध्यापक एक स्नातक विभागध्यक्ष, इलेक्ट्रानिक्स ए.स.च. युकाराही विकास संस्थितक क्रिकेट
 - 2 श्री प्रदीप पुरे, राहा, प्राध्यापक एवं विमागाध्यक्ष, इलेक्ट्रानिक्स, महाराजा रणजीत रिहंह गहाविद्यालय, इन्दौर



